कार्यालय प्राचार्य, शासकीय लाहिड़ी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
चिरमिरी, जिला–कोरिया (छ.ग.)
नैक द्वारा "C" ग्रेड प्रदत्त
Affiliated to Sant Gahira Guru University, Ambikapur Phone No. 07771-265026
Email-govtlahiricollege@gmail.com AISHE: C-9736 Website- www.govtlahiripgcollege.com

AQAR: 2021-22

6.3.1 The institution has effective welfare measures for teaching and non- teaching staff

Sl. No.	Contents	Page (From-to)
1	Rules and Regulation regarding employees welfare	02 - 37
2	Photographs of staff room, gym, water purifier, first ad room, canteen	38 - 39
3	List of Teacher's participation in national/international Seminars/Workshops/FDPs/Orientation/Refresher course	40
4	Relevant Documents of Teacher's participation in national/international Seminars/Workshops/FDPs/Orientation/ Refresher course	41 -50
5	Rules and Regulation regarding APAR & PBAS for employees	51 - 60
6	List of performance appraisal system of employees	61
7	Scan copy of teacher's APAR and PBAS form (sample)	62 - 81
8	List of professional training programs for teaching & non-teaching staff's	82
9	Relevant documents of professional training programs for teaching & non-teaching staff's	83 - 90

IQAC Coordinator
IQAC Coordinator
Govt. Lahiri P.G. College, Chirimiri
Distt. - Koriya (C.G.)

Principal
Principal
Govt. Lahiri P.G. College
Chirimiri, Distt.- Korea (C.G.)

RAJ LAW Publication

बी. के. सिन्हा
ए. एक्का

छत्तीसगढ़

ऑफिस मैन्युअल हैण्डबुक

2022

पंचम संस्करण

राज लॉ पब्लिकेशन, रायपुर

अध्याय

23

अन्य प्रकार के भत्ते

(Other Allowances)

1. गृह भाड़ा भत्ता (House Rent Allowance)—

(1) गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने की पात्रता—राज्य शासन के ऐसे कर्मचारी गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने हेतु पात्र होते हैं, जो राज्य शासन के अधीन और उसके नियंत्रण में कार्य करते हैं। निम्नानुसार शासकीय सेवक इसे प्राप्त करने हेतु पात्र होते हैं—

(क) ऐसे शासकीय सेवक जो किराए के मकान में रहते हैं या स्वयं के या पत्नी के या पुत्र/पुत्री के मकान में रहते हैं।

(ख) ऐसे शासकीय सेवक, जिनकी सेवाएं स्थाई या अस्थाई हो, गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

(2) गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने हेतु अपात्र—निम्नानुसार शासकीय सेवक गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगे—

(क) वे, जिन्हें वर्तमान बाजार दर पर वेतन/परिश्रमिक प्राप्त होता है।

(ख) ऐसे कर्मचारी जिन्हें शासकीय आवास आवंटित हो परन्तु जिनके द्वारा उसे लेने से मनाकर दिया गया हो।

(ग) ऐसे शासकीय सेवक, जिन्हें अनुसूचित परियोजना क्षेत्र में पदस्थ होने के कारण निर्धारित स्वीकृत दर पर मकान किराया भत्ता प्राप्त हो रहा हो।

(घ) ऐसे कर्मचारी जिन्हें आकस्मिक निधि से वेतन भुगतान किया जा रहा हो।

(ङ) ऐसे कर्मचारी, जहाँ उन्हें नि:शुल्क मकान प्राप्त हुआ हो या जिन्हें मकान के बदले गृह भाड़ा प्राप्त होता है।

(च) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी।

(3) आदेश दिनांक 15-6-1987—1. State Government vide Finance Department Memo No. F.B.11/1/NI/2/87/IV, dated the 16th April, 1987 have issued orders for grant of House Rent Allowance in respect of Government servants who reside in town having a population of 1,00,000 or more less than 50,000.

2. Government upon the decision taken by the State Government relating to the revision of Pay Scales, the State Government are now further pleased to grant House Rent Allowance at revised rates to Government employees residing in towns or cities having population of 50,000 and above. Description of localities where this allowance is payable and the rates at which the allowance will be admissible are given in Annexure-I. The allowance will be paid to the employees under the Rule making control of the State Government, subject to

नियमानुसार 10,000 से अधिक संख्या वाले नगरपालिका नगरों की परीधि के 2 किलोमीटर की दूरी पर निवास करने वाले शासकीय कर्मचारियों को यह परियोजना भत्ता ऐसे परियोजनाओं के लिए देय नहीं है जिनकी कुल लागत पचास लाख से कम है।

7. रोकड़िया को नगद भत्ता—

वित्त विभाग द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक ए-1/87/नि-2/चार, दिनांक 28-5-1987 के अनुसार औसत मासिक वितरण नगद राशि पर भत्ते की दर निम्नानुसार है—

औसत मासिक वितरित नगद राशि	भत्ते दर
रू. 10,000 तक	रू. 20 प्रतिमाह
रू. 10,001 से 25,000 तक	रू. 30 प्रतिमाह
रू. 25,001 से 50,000 तक	रू. 40 प्रतिमाह
रू. 50,001 से अधिक	रू. 50 प्रतिमाह

8. वर्दी एवं धुलाई भत्ता—

(1) छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-88/2011/गृह-दो, दिनांक 13 फरवरी 2015 के ज्ञापन अनुसार आर्हता रखने वाले कर्मचारियों को वर्दी धुलाई हेतु भत्ता रू. 75.00 प्रतिमाह भुगतान करने के आदेश प्रसारित किए गए है। यह भत्ता उन्हीं कर्मचारियों को देय होगा, जो नियमित रूप से वर्दी कार्यालय में पहन कर आते हैं।

(2) **वर्दी सिलाई की दर**—छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिये जाने वाले वर्दियों की सिलाई/धुलाई दर को आदेश जारी होने की तिथि अर्थात् दिनांक 13-2-2015 से संशोधित कर लागू किया—

क्रमांक	वर्दी का नाम	वृद्धि पश्चात् पुनरीक्षित दर (प्रति नग)
1.	बटन अप कोट	रु. 250/-
2.	ट्राउजर	रु. 135/-
3.	गाँधी टोपी	रु. 40/-
4.	पायजामा	रु. 60/-
5.	बुशर्ट/हाफ कोट	रु. 100/-
6.	गरम ऊनी कोट	रु. 750/-
7.	ब्लाउज/सलुखा	रु. 50/-
8.	पेटीकोट	रु. 30/-

[गृह (पुलिस) विभाग क्र. एफ 3-88/2011/गृह-दो, दिनांक 13-2-2015]

9. पटवारियों को स्टेशनरी भत्ता—

दिनांक 27 मार्च 2012 से पटवारियों को मिलने वाले को स्टेशनरी भत्ते में वृद्धि करते हुए उस रू. 250/- (दो सौ पचार रूपए) प्रतिमाह की दर से स्वीकृत किया गया है।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 88/एफ-2095/12/वित्त/नियम/चार, दिनांक 27-3-2012]

अध्याय 24

ऋण एवं अग्रिम

(Loan and Advances)

1. प्रस्तावना—

राज्य शासन स्तर से पूर्व में दो प्रकार के अग्रिम शासकीय सेवक को दिए जाते थे, जिसमें जो ब्याज रहित अग्रिम होता है, उसे अग्रिम कहते हैं तथा जो ब्याज सहित होता था, उसे ऋण कहते थे। राज्य शासन द्वारा ब्याज सहित ऋण देना वर्ष 2004 से बन्द कर दिया गया है। इसके स्थान पर शासन द्वारा शासकीय सेवकों को बाह्य संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने की नई योजना दिनांक 1-6-2004 से लागू की गई।

2. ब्याज रहित अग्रिम—

राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों को निम्न मदों में ब्याज रहित अग्रिम दिया जाता है। पूर्व में अनाज अग्रिम भी इसी के अधीन दिया जाता था, जिसे वर्तमान में बन्द कर दिया गया है—

(1) स्थानान्तरण पर अग्रिम,

(2) स्थानान्तरण/दौरों पर अग्रिम,

(3) त्यौहार अग्रिम,

(4) गृह नगर की यात्रा हेतु अग्रिम,

(5) विदेश प्रशिक्षण पर जाने वाले शासकीय सेवकों को अग्रिम,

(6) चिकित्सा अग्रिम।

स्पष्टीकरण—राज्य शासन द्वारा अनाज अग्रिम वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 331/एफ 1003491/वित्त/नियम/चार/2012, दिनांक 19-10-2012 द्वारा अनाज अग्रिम को समाप्त कर दिया गया।

(1) **स्थानान्तरण पर वेतन/यात्रा अग्रिम**—यह अग्रिम किसी शासकीय सेवक के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण होने की स्थिति में नए गंतव्य पर जाने के लिए दिया जाता है। इस अग्रिम में एक माह का वेतन, शासकीय सेवक एवं उसके आश्रितों का नए गंतव्य पर पहुँचने का वास्तविक किराया तथा समान का परिवहन व्यय सम्मिलित होता है। वेतन अग्रिम की राशि वेतन से तीन समान किश्तों में तथा यात्रा अग्रिम का समायोजन एक मुश्त यात्रा देयक से किया जावेगा। यह अग्रिम कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।

टिप्पणी—(1) आपसी स्थानान्तरों में अग्रिम की पात्रता नहीं होगी।

(2) स्थानान्तर अग्रिम को अंतिम वेतन प्रमाण पत्र पर दर्शाया जाना चाहिए।

(3) अवकाश काल में यदि स्थानान्तर आदेश हुए हो, तब भी शासकीय सेवक को यह अग्रिम देय होगा।

(4) किश्तों का निर्धारण पूर्ण रूपए में किया जाना चाहिए।

(5) शासकीय सेवक, अस्थाई हो या स्थाई, उससे जमानत लेना वांछनीय नहीं होगा।

[नियम 268, छत्तीसगढ़ वित्त संहिता भाग-1]

(2) त्यौहार अग्रिम—राष्ट्रीय एवं अन्य महत्वपूर्ण त्यौहारों पर त्यौहार अग्रिम देने की योजना है, इसके अधीन 15 अगस्त/26 जनवरी, होली, दशहरा, दीपावली, रक्षा बंधन, ईद-उल-फित्तर, ईद-ऊल जुहा, जन्माष्टमी, क्रिसमस-डे आदि त्यौहारों पर शासकीय सेवकों को अग्रिम दिया जाता है। इसमें समस्त तृतीय वर्ग एवं चतुर्थ वर्ग तथा कार्यभारिता/आकस्मिता मद से वेतन पाने वाले कर्मचारी पात्र होते हैं। इसके अधीन निम्न अन्य शर्तें होती है—

(i) अग्रिम की राशि रू. 800/- से अधिक नहीं होगी।

(ii) उस अग्रिम की वसुली वेतन से दस समान किश्तों में की जावेगी।

(iii) कलेण्डर वर्ष में केवल एक बार दिया जावेगा, बशर्ते पिछला अग्रिम बकाया न हो।

(iv) यह अग्रिम कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत होगा।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 331/एफ-1003419/वि/नि/चार, दिनांक 19-10-2012]

(3) गृह नगर की यात्रा भत्ता—इस योजना की मुख्य बातें निम्नानुसार है—

(i) इसके लिए समस्त श्रेणी के शासकीय सेवक पात्र होते हैं।

(ii) दोनों ओर यात्रा पर होने वाले व्यय का 4/5 मात्र अग्रिम रूप में देय।

(iii) जहाँ शासकीय सेवक एवं उसका परिवार पृथक-पृथक यात्रा करना चाहते हैं, वह अग्रिम पृथक-पृथक स्वीकृत किया जा सकता है।

(iv) जहाँ अवकाश अवधि 90 दिन से अधिक है, वहाँ मात्र एक ओर का ही अग्रिम स्वीकृत किया जावेगा।

(v) इस अग्रिम की वसूली एक मुश्त यात्रा देयक से की जावेगी।

(vi) इस अग्रिम को स्वीकृत करने हेतु कार्यालय प्रमुख प्राधिकृत है।

(vii) अगर किसी अस्थाई शासकीय सेवक द्वारा अग्रिम लिया जा रहा है तब किसी स्थाई/शासकीय सेवक की जमानत आवश्यक होगी।

[वित्त विभाग क्र. 1342-सी.आर.-2654-आर-आर.एफ-72, दिनांक 27-11-1972]

(4) विदेश प्रशिक्षण में जाने वाले शासकीय सेवकों को अग्रिम—इस योजना के अधीन मुख्य बातें निम्नानुसार है—

(i) इसके लिए समस्त श्रेणी के शासकीय सेवक पात्र होंगे।

(ii) अग्रिम की राशि विदेश प्रशिक्षण की समयावधि के बराबर महीनों की संख्या के लिए अधिकारी के वेतन तक सीमित रहेगी।

(iii) अग्रिम की वसूली हेतु किश्तों की संख्या इस प्रकार होगी—

(क) तीन माह के विदेश प्रशिक्षण हेतु—तीन

(ख) तीन माह से अधिक, किन्तु बारह माह से अधिक नहीं हेतु—महीनों में प्रशिक्षण अनिवार्यत:।

(iv) 12 माह से अधिक निर्देश प्रशिक्षण—बारह

(v) एक माह के वेतन तक अग्रिम हेतु कार्यालय प्रमुख तथा इससे अधिक के लिए विभाग प्रमुख।

टिप्पणी—इस नियम के प्रयोजनार्थ 22 दिन से अधिक को एक माह तथा 22 दिन से कम को गणना में नहीं लिया जावेगा। [नियम 269, वित्त संहिता भाग-एक]

3. शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थाओं से गृह निर्माण/क्रय, वाहन, कम्प्यूटर अन्य घरेलू उपकरण का क्रय एवं उच्च शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध कराने की योजना—

1. **योजना का नाम**—यह योजना "**शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की योजना**" कहलायेगी।

2. **उद्देश्य**—इस योजना का उद्देश्य शासकीय सेवकों को उनके द्वारा चयनित वित्तीय संस्था से आवासीय प्लाट का क्रय, गृह निर्माण/क्रय, वाहन/कम्प्यूटर एवं अन्य घरेलू उपभोक्ता उपकरणों या बच्चों/स्वयं की उच्च शिक्षा के लिए सरलता से ऋण उपलब्ध कराना है।

3. **प्रारम्भ**—यह योजना दिनांक 1-6-2004 से प्रारम्भ होगी।

4. **विस्तार**—(i) यह योजना निम्नांकित वर्गों को छोड़कर राज्य शासन के समस्त स्थाई/अस्थाई कर्मचारियों पर लागू होगी—

(अ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी;

(ब) दैनिक वेतन पर नियुक्त कर्मचारी;

(स) आकस्मिकता निधि/कार्यभारिता स्थापना के अस्थाई सदस्य;

(द) पुनर्नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी;

(इ) राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारी।

(ii) ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 5 वर्ष की स्थायी/अस्थाई सेवा पूर्ण कर ली हो तथा जिनकी अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्ति हेतु 2 वर्ष से अधिक अवधि शेष है, इस योजना के अंतर्गत ऋण लेने के लिए पात्र होंगे। जो शासकीय कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर है, उन पर भी यह योजना लागू होगी।

5. **ऋण का उद्देश्य**—इस योजना के अंतर्गत शासकीय कर्मचारियों को व्यावसायिक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से निम्नांकित उद्देश्यों हेतु ऋण प्राप्त हो सकेगा—

(1) किसी भी स्थान पर स्वयं के आवास हेतु आवासीय भू-खण्ड क्रय अथवा भवन के क्रय/निर्माण एवं परिवर्तन हेतु;

(2) नवीन/पुराने वाहन के क्रय हेतु;

(3) कम्प्यूटर/टेलीविजन/रेफ्रिजरेटर क्रय हेतु;

(4) राज्य शासन से पूर्व के लिए गए आवासीय प्लाट/भवन निर्माण अग्रिम, वाहन क्रय अग्रिम की राशि के समय पूर्व भुगतान हेतु;

(5) स्वयं तथा अपने बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु;

4. स्व-वाहन सुविधा योजना—

शासन ने मंत्रालय तथा विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों को नवीन वाहन क्रय पर आवंटित करने की बजाय "स्व-वाहन सुविधा योजना" लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना अधिसूचना क्र. 327/नियम/वित्त/IV/2001, दिनांक 28 मई, 2001 द्वारा लागू हो गई है। यह योजना इस उद्देश्य से लागू की गई है कि शासकीय वाहनों की संख्या कम की जाये ताकि वाहनों पर हो रहे आवर्ती व्यय को कम किया जा सके।

योजना निम्नानुसार है—

(1) **योजना**—इस योजना का नाम "**स्ववाहन/सुविधा योजना**" होगा।

(2) **यह योजना वैकल्पिक होगी।**

(3) **पात्रता**—(1) छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रालय तथा विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थ निम्न अधिकारी इस योजना से आवृत्त होंगे—

(i) वरिष्ठ वेतनमान अथवा उससे उच्च वेतनमान के अखिल भारतीय सेवा (भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा) के अधिकारी,

(ii) उप सचिव तथा उससे उच्च स्तर के अधिकारी, जिसमें उच्च न्यायालय व विधानसभा के अधिकारी भी शामिल हैं,

(iii) संयुक्त संचालक तथा उससे उच्च स्तर के अधिकारी,

(iv) अधीक्षण यंत्री तथा उससे उच्च स्तर के अधिकारी।

(2) यदि किसी अधिकारी द्वारा एक बार इस योजना का चयन किया जाता है तो पूरे सेवा काल में किसी भी पदस्थापना पर वे इस योजना की शर्तों व नियमों से बाध्य होंगे एवं इस योजना के नियमों के तहत् शासन के किसी भी पद पर रहते हुए राशि की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि का नियमन इस अधिसूचना के पैरा-9 अनुसार किया जाएगा।

5. वाहन अग्रिम—

(1) योजना का विकल्प देने वाले अधिकारी को रुपये 3.00 लाख अथवा वाहन की कीमत, जो भी कम हो, वाहन अग्रिम दिया जायेगा। अग्रिम केवल नवीन वाहन क्रय के लिए दिया जायेगा। वाहन अग्रिम की राशि समय-समय पर वाहनों की बढ़ती कीमतों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा पुनरीक्षित की जा सकेगी।

(2) वाहन अग्रिम पर 11 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देय होगा।

(3) कतिपय मामलों, जहाँ वाहन निर्माता द्वारा यह शर्त लगा दी जाती है कि वाहन की बुकिंग के समय वाहन की सम्पूर्ण कीमत अग्रिम के रूप में डिपाजिट की जाए वहाँ अग्रिम रूप से राशि अधिकृत विक्रेता के पास जमा करने हेतु अग्रिम प्राप्त किया जा सकेगा, परन्तु इस प्रकार प्राप्त किये गये अग्रिम पर यदि कोई ब्याज प्राप्त होता है तो संबंधित अधिकारी को ब्याज की राशि शासन को वापस करनी होगी।

(4) वाहन अग्रिम की वसूली वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार ही इस योजना के अंतर्गत प्राप्त किये गये अग्रिम के मूलधन एवं ब्याज की वापसी अधिकतम 10 वर्ष की समयावधि में की जायेगी।

(5) पात्र अधिकारियों द्वारा शासन के नियमों के अन्तर्गत अन्य किसी भी प्रकार के अग्रिम जैसे—गृह निर्माण, कम्प्यूटर अग्रिम के अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत वाहन अग्रिम प्राप्त किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में जहाँ अधिकारियों द्वारा पूर्व में वाहन अग्रिम प्राप्त किया गया है, इस योजना के अन्तर्गत अग्रिम प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक होगा कि पूर्व में प्राप्त किये गये अग्रिम के विरुद्ध शेष राशि ब्याज सहित एकमुश्त शासकीय कोष में जमा कर दी जाए। परन्तु, यह प्रतिबंध उन मामलों में लागू नहीं होगा जहाँ कार की अग्रिम बुकिंग के लिए डिपाजिट करने हेतु अग्रिम लिया गया है—ऐसे मामलों में वाहन की डिलेवरी प्राप्त करने पर पुराने अग्रिम के विरुद्ध शेष राशि जमा करना आवश्यक होगा।

(6) जिन अधिकारियों द्वारा योजना का विकल्प नहीं दिया जाता है उन्हें स्वमेव शासकीय वाहन की पात्रता नहीं होगी। प्रशासकीय विभाग संबंधित अधिकारी के कार्य के आधार पर इसका निर्धारण करेंगे।

6. ऋण तथा अग्रिम के संबंध में—

वित्त विभाग के संदर्भित पत्र क्रमांक/513/एल-14/2/03/ब-4/चार/2003, दिनांक 10-12-2003 (वित्त निर्देश 61/2003) द्वारा विभागाध्यक्ष कार्यालयों में ऋण तथा अग्रिमों से संबंधित पंजी के संधारण तथा ऋण स्वीकृति आदेश में ऋण की शर्तों का स्पष्ट उल्लेख करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

(2) महालेखाकार के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में ऋण तथा अग्रिमों की स्वीकृति एवं वसूली के संबंध में यह आपत्ति ली गयी है कि ऋण स्वीकृति के प्रकरणों में छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-I के नियम 220 का पालन नहीं किया जा रहा है, अर्थात् ऋण स्वीकृति आदेश में पुनर्भुगतान की शर्तों का उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

(3) अत: सभी विभागों को निर्देशित किया जाता है कि अपने विभागाध्यक्ष कार्यालयों को उक्त संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 61/2003 का पालन सुनिश्चित करने एवं ऋण स्वीकृति आदेश में ऋण की वसूली विलंब से होने की स्थिति में देय दाण्डिक ब्याज, प्रथम किश्त के भुगतान की तिथि तथा स्थगन अवधि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करें।

[वित्त विभाग क्र. 958/03939/संसा./ब-4/चार, दिनांक 16-10-2017]

-ooo-

अध्याय

25

शासकीय सेवकों को चिकित्सा सुविधा

(Medical Benefits to Government Servants)

1. प्रस्तावना—

राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ-21-05/2010/नौ/55 दिनांक 14 मार्च 2013 द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2013 लागू किया गया है जिसका प्रमुख लक्ष्य शासकीय सेवकों को चिकित्सा सुविधा प्रक्रिया को विनियमित करना है।

2. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013—

[1]**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ 21-05/2010/नौ/55, दिनांक 14 मार्च, 2013**—राज्य शासन के अधीन नियोजित कर्मचारियों की चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार के विनियमन के लिये नियम बनाये गये हैं जो इस प्रकार है :—

1. लागू होना—(1) ये नियम किन पर लागू होंगे :—

(क) राज्य शासन के नियंत्रणाधीन समस्त शासकीय सेवक, जब वे शासकीय कर्तव्य पर हों या प्रतिनियुक्ति पर हों या प्रशिक्षणाधीन हों या छुट्टी पर हों या निलम्बनाधीन हों या छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर पदस्थ हों,

(ख) संविदा के आधार पर नियोजित कर्मचारी,

(ग) प्रशिक्षणाधीन या कर्तव्यस्थ नगर सैनिक,

(घ) आकस्मिकता स्थापना से वेतन पाने वाले पूर्वकालिक कर्मचारी,

(ङ) समस्त विभागों या राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं में मासिक वेतन पर निरंतर नियोजित कार्यभारित स्थापना (वर्क-चार्ज एस्टैब्लिसमेंट) के सदस्य,

(च) **अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ विरुद्ध भारत संघ, ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 1752** के प्रकरण में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए, विधि विभाग द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों/जारी आदेशों/उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए, न्यायिक अधिकारी।

(2) ये किन पर लागू नहीं होंगे :—

(क) सेवानिवृत्त कर्मचारी,

(ख) अंशकालिक कर्मचारी,

(ग) राज्य शासन के अधीन कार्य करने वाले अवैतनिक (मानद) कर्मचारी,

1. छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 3-4-2013, पृष्ठ 267-268(19) पर प्रकाशित। दिनांक 3-4-2013 से प्रयोज्य।

(घ) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी,

(ङ) अखिल भारतीय सेवा के सदस्य।

2. परिभाषाएँ—

(क) "**प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक**" नियम 3(ज) के अंतर्गत यथा परिभाषित चिकित्सा अधिकारी;

(ख) "**आयुष**" आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति;

(ग) "**परिवार**" से अभिप्रेत है:—

(एक) कर्मचारी की पत्नी या उसका पति;

(दो) कर्मचारी के माता-पिता, अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री, जिनमें विधिक रूप से गोद ली गई संतान/संतानें तथा सौतेली संतान/संतानें भी सम्मिलित हैं जो कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हैं;

(तीन) यदि तलाकशुदा पुत्री (पुत्रियाँ) कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हों, तो उसे/उन्हें चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रयोजन के लिये उस परिवार में सम्मिलित समझा जाएगा;

(चार) महिला कर्मचारी के माता-पिता जो उस पर पूर्णतः आश्रित हों, महिला कर्मचारी के साथ साधारणतः वर्ष भर निवास करते हों और उसके (महिला कर्मचारी के) सिवाय उनका अन्य कोई सहारा न हो तथा उनकी आय का भी कोई अन्य स्रोत न हो :

परन्तु महिला कर्मचारी से इस संदर्भ में एक लिखित घोषणा-पत्र लिया जाना चाहिये कि उसके माता-पिता उस पर ही पूर्णतः आश्रित हैं तथा उसके साथ निवास करते हैं एवं उनका अन्य कोई आय का स्रोत नहीं है और न ही उनका कोई अन्य सहारा है;

(पाँच) विशेषीकृत उपचार (विशेषीकृत चिकित्सा) के संबंध में, शासकीय सेवक के पेंशनर माता-पिता भी परिवार में सम्मिलित समझे जायेंगे।

(घ) "**चिकित्सालय**" —

(एक) राज्य शासन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित चिकित्सालय;

(दो) राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त कोई अन्य चिकित्सालय;

(तीन) ऐसे निजी चिकित्सालय जिन्हें इन नियमों के अंतर्गत चिकित्सालय के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो।

(ङ) "**चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय**" से अभिप्रेत है शासकीय एलोपैथिक, दंत, आयुष चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय या राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त कोई अन्य चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय, जिन्हें इन नियमों के प्रयोजन के लिये मान्यता प्रदान की गई हो;

4. मानसिक रोगी का उपचार—मानसिक रोग से पीड़ित कर्मचारी, राज्य शासन के किसी भी चिकित्सालय या शासकीय मानसिक चिकित्सालय, यथास्थिति, में भर्ती होने की तारीख से, अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिये निःशुल्क चिकित्सा उपचार, वास स्थान तथा खुराक के लिए हकदार होगा।

5. उपचार एवं प्रतिपूर्ति—(1) चिकित्सालय का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी रोगियों को ऐसे वार्ड में रख सकेगा जैसा वह ठीक समझे।

(2) कर्मचारी चिकित्सालय में निःशुल्क उपचार, निःशुल्क ब्लड ग्रुपिंग एवं ब्लड क्रास-मैचिंग का हकदार होगा, यदि चिकित्सालय में कर्मचारी द्वारा ऐसे उपचार, वास स्थान के लिये अथवा किसी अन्य कारण से राशि का भुगतान किया जाता है, तो उसकी प्रतिपूर्ति उसी सीमा तक की जाएगी जो कि इन नियमों में उपबंधित है।

(3) कर्मचारी प्रथमतः, उपचार, सेवा, कमरे का किराया अथवा कोई अन्य प्रभार (प्रभारों) के लिये देयक (बिल), यदि कोई हो, का भुगतान करेगा और तत्पश्चात् वह इन नियमों के अंतर्गत संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर (काऊंटरसाईन) अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही प्रतिपूर्ति के लिये दावा कर सकेगा।

6. प्रतिपूर्ति की सीमा—शासकीय कर्मचारी चिकित्सा सेवा, उपचार, उपचर्या (नर्सिंग) तथा वास स्थान के प्रयोजन के संबंध में उसके द्वारा किये गये व्यय (व्ययों) की निम्नलिखित सीमा (सीमाओं) तक प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु हकदार होगा:—

(1) बाह्य रोगी की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा यथा विहित औषधियों के क्रय के उपरांत संपूर्ण व्यय, किन्तु—

(एक) ऐसे कर्मचारी, जो राज्य शासन द्वारा यथा विहित चिकित्सा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, वे इन नियमों के अंतर्गत उपगत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे,

(दो) उपरोक्त पैरा (1) के अतिरिक्त, अन्य मामलों के लिए—

स.क्र.	राशि	सक्षम प्राधिकारी	शर्तें
1.	1,500/-	नियंत्रण अधिकारी	3 माह के अंदर की सीमा से एक वित्तीय वर्ष में चार बार
2.	1,501/- से 5,000/- तक	जिलों के लिये—यथास्थिति, सिविल सर्जन/ जिला आयुर्वेद अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय के लिये—अधीक्षक/उप संचालक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	

स.क्र.	राशि	सक्षम प्राधिकारी	शर्तें
3.	5,001/– से 25,000/– तक	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित विषय विशेषज्ञ/जिला आयुर्वेद अधिकारी तथा यथासंभव आयुष विषय विशेषज्ञ	
4.	25,001/– से अधिक	संबंधित पद्धति के संचालनालय में गठित तीन सदस्यी विशेषज्ञों की समिति की अनुशंसा उपरान्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ संचालक आयुष, संचालक चिकित्सा शिक्षा।	

(2) अंत: रोगी की दशा में उपचार पर नियम 8 के अंतर्गत उपबंधित सीमा तक उपगत व्यय;

(3) उपरोक्त उल्लिखित नियम 7(1)(दो) के प्रावधान, उन रोगियों, जो ऐसे रोग से पीड़ित हों, जिसके लिये संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/जिला आयुर्वेद अधिकारी ने विहित प्ररूप में यह प्रमाण-पत्र जारी कर दिया हो कि उस रोग का उपचार लंबे समय तक होगा या लंबे समय तक होने की संभावना है, से संबंधित देयकों (बिलों) की प्रतिपूर्ति के मामले में लागू नहीं होंगे।

टीप—ऐसे प्रमाण-पत्र, प्रथम बार में एक वर्ष से अधिक कालावधि के लिये जारी नहीं किए जायेंगे, किन्तु उनका नवीनीकरण, समय-समय पर ऐसी कालावधि के लिये, जो कि आवश्यक हो, किया जा सकेगा, जो एक समय में एक वर्ष की कालावधि से अधिक की नहीं होगी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/जिला आयुर्वेद अधिकारी, उसके द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्रों की विशिष्टियों के साथ एक-एक रजिस्टर, ऐसे प्ररूप में संधारित करेंगे, जैसा कि शासन द्वारा निर्धारित किया जाए।

(4) ऑक्सीजन देने में उपगत संपूर्ण व्यय;

(5) रुधिराधान के लिए, रक्त खरीद पर उपगत व्यय;

(6) प्रसूति के दौरान, जिसमें प्रसवपूर्व तथा प्रसवोत्तर उपचार और गर्भपात उपचार शामिल है, उपचार करवाने में उपगत संपूर्ण व्यय;

(7) गहन चिकित्सा इकाई (आई.सी.यू.) में होने वाला संपूर्ण व्यय;

(8) चिकित्सालय में कमरे के किराये के संबंध में होने वाला व्यय, जिसमें बिजली या बिजली के पंखे, जहाँ वे चिकित्सालयीन सुविधाओं का सामान्य भाग हों, अर्थात् जहाँ वे वार्ड या कमरे का भाग हों, पर होने वाला व्यय शामिल है, चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों तथा आकस्मिकता स्थापना से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में संपूर्ण और अन्य मामलों में केवल पचास प्रतिशत होगा;

अध्याय

26

यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता

(Travelling and Daily Allowance)

1. दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता—

राज्य शासन छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 4 के अनुसार छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 की वेतन संरचनाओं में यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता की संगणना के लिए वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक दिनांक 5 सितम्बर में स्थापित प्रावधानों को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधन किया जाता है—

श्रेणी का निर्धारण

श्रेणी	मानक
ए	रू. 10,000/- या इससे अधिक ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले तथा एच.ए.जी. वेतनमान पाने वाले समस्त अधिकारी।
बी	रू. 7,600/- या इससे अधिक परन्तु रू. 10,000/- से कम ग्रेड वेतन प्राप्त समस्त अधिकारी।
सी	रू. 4,400/- या इससे अधिक परन्तु रू. 7,600/- से कम ग्रेड वेतन पाने वाले समस्त शासकीय सेवक।
डी	रू. 2,400/- या उससे अधिक परन्तु 4,400/- से कम ग्रेड वेतन पाने वाले समस्त शासकीय सेवक।
ई	रू. 2,400/- से कम ग्रेड पाने वाले शासकीय सेवक।

2. पूरक नियम 20(सी) के अनुसार रेल द्वारा की गई यात्रा हेतु पात्रता निम्नानुसार होगी—

शासकीय सेवक की श्रेणी	राजधानी	शताब्दी	सामान्य
ए	एसी प्रथम श्रेणी	एक्सीक्यूटिव क्लास	रेल की उच्चतम श्रेणी
बी	एसी टू टियर	एसी चेयरकार	रेल की उच्चतम श्रेणी (एसी की प्रथम श्रेणी को छोड़कर)
सी	एसी 3 टीयर	एसी चेयरकार	रेल की उच्चतम श्रेणी (एसी प्रथम श्रेणी को छोड़कर)
डी	—	—	शयनयान श्रेणी (वातानुकूलित नहीं) एसी चेयरकार
ई	—	—	शयनयान श्रेणी (वातानुकूलित नहीं)

3. शासकीय सेवकों द्वारा हवाई यात्रा—

यात्रा भत्ता नियमों के पूरक नियम 21 के अनुसार हवाई यात्रा की पात्रता निम्नानुसार होगी—

(क) एच.ए.जी. वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अन्दर एक्सीक्यूटिव क्लास से यात्रा करेंगे।

(ख) 8700 या इससे अधिक ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अन्दर इकोनोमी क्लास में यात्रा करेंगे।

(ग) 7600 या इससे अधिक किन्तु 8700 से कम ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी केवल दिल्ली यात्रा हेतु इकोनोमी क्लास से यात्रा करेंगे।

4. सड़क मार्ग से लोक वाहन द्वारा यात्रा—

छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता को पूरक नियम 22 के अनुसार सड़क मार्ग से लोक वाहन (Public transport) द्वारा यात्रा की पात्रता निम्नानुसार होगी—

शासकीय सेवक की श्रेणी	पात्रता
ए	शासकीय अधिकारी को वातानुकूलित बस से यात्रा की सुविधा होगी।
बी	शासकीय अधिकारी को वातानुकूलित बस से यात्रा की सुविधा होगी।
सी	शासकीय अधिकारी को वातानुकूलित बस से यात्रा की सुविधा होगी।
डी	शासकीय सेवक को गैर वातानुकूलित डीलक्स बस एवं विडियो कोच से यात्रा की सुविधा होगी।
ई	शासकीय सेवक को गैर वातानुकूलित फास्ट पैसेंजर अथवा सुपर एक्सप्रेस बस से यात्रा की सुविधा होगी।

5. मील भत्तों की दर—

यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 25 के अनुसार मील भत्तों की दरें निम्नानुसार होगी—

शासकीय सेवक की श्रेणी	यात्रा का साधन	दर (प्रति कि.मी.)	रिमार्क
ए एवं बी	स्वयं की कार /टैक्सी (एसी टैक्सी शामिल)	10/- रूपए 14/- रूपए	1. टैक्सी पात्रता तब होगी जब यात्रा वास्तव में टैक्सी से की गई एवं रसीद प्रस्तुत की गई। 2. यदि दोनों स्थान रेल से जुड़ है तब कार या टैक्सी से की गई यात्रा रेल यात्रा की पात्रता की श्रेणी के लिए किराए से सीमित किया जावेगा।

शासकीय सेवक की श्रेणी	यात्रा का साधन	दर (प्रति कि.मी.)	रिमार्क
सी	स्वयं की कार टैक्सी (नान एसी)	10/- रूपए 12/- रूपए	1. टैक्सी की पात्रता तब होगी जब यात्रा वास्तव में टैक्सी से किया गया एवं रसीद प्रस्तुत की गई। 2. यदि दोनों स्थान रेल से जुड़ा है तब कार या टैक्सी से की गई यात्रा रेल यात्रा की पात्रता की श्रेणी के किराए से सीमित किया जावेगा।
समस्त श्रेणी	स्वयं की मोटर साइकिल एवं अन्य साधन	4/- रूपए 1/- रूपए	

6. शासकीय सेवकों के लिए प्रवास दैनिक भत्ता, आवास भत्ता, स्थानीय परिवहन व्यय की स्वीकृति—

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 32 के अनुसार दैनिक भत्ता के स्थान पर नगर की श्रेणी (एक्स, वाई, जेड) के अनुसार दैनिक भत्ता, आवास एवं स्थानीय परिवहन हेतु अलग-अलग दरें निर्धारित की गई है, जो निम्नानुसार है—

शासकीय सेवक की श्रेणी	दैनिक भत्ता नगर की श्रेणी के अनुसार			आवास (प्रतिदिन होटल व्यय)			स्थानीय परिवहन प्रतिदिन		
	एक्स	वाए	जेड	एक्स	वाए	जेड	एक्स	वाए	जेड
ए	500	400	300	7500	2000	1000	1000	500	300
बी	300	250	200	5000	1500	750	800	400	250
सी	200	150	125	2000	750	375	400	250	150
डी	150	100	80	1000	500	250	200	150	100
ई	100	80	60	500	250	125	100	75	50

टीप—1. नगरों का श्रेणीकरण भारत शासन के ज्ञापन क्रमांक 2(13)/2008-E, II(B) दिनांक 29-08-2008 के साथ संलग्न परिशिष्ट (जो इस ज्ञापन के साथ परिशिष्ट के रूप में संलग्न है) के अनुसार होगा।

2. राज्य के अंदर यात्रा हेतु प्रवास स्थान पर शासकीय/अर्द्धशासकीय सर्किट हाऊस/रेस्ट हाऊस/गेस्ट हाऊस इत्यादि में स्थान उपलब्ध होने पर निवास हेतु इसे प्राथमिकता दी जावे।

7. शासकीय सेवक को नया रायपुर में निवास हेतु प्रोत्साहन—

(i) राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों को नया रायपुर में स्थित शासकीय आवासों में निवास हेतु प्रोत्साहन हेतु निर्णय लिया गया है कि किसी शासकीय सेवक को नया रायपुर में शासकीय आवास आबंटित होने पर यदि उसे रायपुर से नया रायपुर घरेलू समान का परिवहन करना पड़ता है तो वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन क्रमांक 45 सी–18029/वित्त/नियम/चार/2011, दिनांक 1–3–2011 की कंडिका 8(अ) में उल्लेखित दरों से छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 81(2) के अंतर्गत देय एक मुश्त अनुदान स्वीकृत किया जावे। स्वयं के मकान या किराए के मकान में घरेलू समान के परिवहन हेतु एक मुश्त अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 319/एफ 2014–04–01327/वि/नि/चार, दिनांक 6-8-2014]

(ii) उक्त परिपत्र में राज्य शासन द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अनुदान की पात्रता शासकीय कर्मचारी द्वारा नया रायपुर में शासकीय आवास का अधिपत्य लेने की तिथि से होगी।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 422/एफ/474–21–00938/वि/नि/चार, दिनांक 16-10-2014]

8. शासकीय सेवकों द्वारा राज्य के बाहर यात्रा हेतु यात्रा भत्ता की पात्रता—

(1) राज्य शासन द्वारा, पूर्व में स्वीकृत यात्रा भत्ता को अपर्याप्त मानते हुए, विचारोपरान्त राज्य के बाहर की यात्रा हेतु आवास (प्रतिदिन होटल व्यय), स्थानीय परिवहन, विशेष विराम भत्ता तथा निजी सामान परिवहन की वर्तमान दरों को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है—

शासकीय सेवक की श्रेणी	आवास (होटल व्यय) प्रतिदिन		स्थानीय परिवहन प्रतिदिन	
	X श्रेणी का शहर	Y/Z श्रेणी का शहर	X श्रेणी का शहर	Y/Z श्रेणी का शहर
ए	9000/–	6000/–	1000/–	600/–
बी	6000/–	4000/–	800/–	500/–
सी	2400/–	2000/–	400/–	250/–
डी	1200/–	1000/–	300/–	200/–
ई	1000/–	800/–	150/–	100/–

टिप्पणी—(1) **विशेष विराम भत्ता**—छत्तीसगढ़ यात्रा नियम के पूरक नियम 55 ए के अंतर्गत राज्य के बाहर की हवाई यात्रा हेतु विशेष विराम भत्ता की पात्रता आधा दैनिक भत्ता के स्थान पर एक दैनिक वेतन भत्ता होगा।

(2) **निजी सामान परिवहन**—राज्य के बाहर स्थानान्तरण के मामले में शासकीय सेवक को निजी सामान परिवहन की पात्रता समान वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्र शासन के कर्मचारी हेतु समय-समय पर लागू दर के अनुरूप होगी।

3. यह आदेश दिनांक 1-10-2016 या इसके पश्चात् की यात्राओं/निजी समान के परिवहन हेतु लागू होगी। यात्रा भत्ता की शेष दरें एवं शर्तें पूर्ववत होगी।

अध्याय

39 आकस्मिक अवकाश एवं विशेष आकस्मिक अवकाश

(Casual Leave and Special Casual Leave)

तकनीक दृष्टि से "आकस्मिक अवकाश" को अवकाश नहीं माना गया है। क्योंकि इस अवकाश के दौरान कर्मचारी कर्त्तव्य पर ही रहता है तथा ड्यूटी पर वेतन प्राप्त करता है।

1. आकस्मिक अवकाश—

(1) एक कैलेन्डर वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश देय है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 2341-3006-1 (iii)/64, दिनांक 11-12-1964]

(2) लिपिक-वर्गीय शासकीय सेवक (आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को छोड़कर) जिन्हें माह के द्वितीय शनिवार को कर्तव्य पर उपस्थित रहना पड़ता है, को एक कैलेन्डर वर्ष में 13 दिन के बजाय 16 दिन का आकस्मिक अवकाश देय है। यह नियम शासकीय मुद्रणालय के तथा अन्य विभागों के उन लिपिक-वर्गीय कर्मचारियों को लागू नहीं है जो कारखाना अधिनियम तथा श्रम कानूनों से शासित होते हैं।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 2378-3125/1 (3)/66, दिनांक 30-11-1966]

(3) सार्वजनिक/सामान्य अवकाश को जो आकस्मिक अवकाश की अवधि के पहले या बाद में पड़े, उन्हें आकस्मिक अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार यदि ये अवकाश आकस्मिक अवकाश के मध्य में आ रहे हैं तो इन्हें आकस्मिक अवकाश के भाग के रूप में नहीं माना जाएगा।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 2942-2068-1 (3)/60, दिनांक 13-12-1960]

(4) फॉरेस्ट स्कूल के प्रशिक्षार्थियों, चिकित्सा अधिकारियों एवं वन शाला में प्रशिक्षण के लिए भेजे गये अधीनस्थ वन सेवा के व्यक्तियों को वर्ष में 19 दिन का आकस्मिक अवकाश देय है, जिसमें से शिविर अवधि समाप्त होने पर विश्रान्तिकाल के रूप में एक समय में 14 दिन तक का अवकाश दिया जा सकता है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 1511-सी-आर-763 (3)/58, दिनांक 15-7-1959]

(5) माह के द्वितीय तथा तृतीय शनिवार को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ19/85/83/4/1, दिनांक 11-5-1983 द्वारा शासकीय कार्यालयों में अवकाश मंजूर है।

(6) लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के केन्द्रीय मूल्यांकन में उपस्थित होने वाले परीक्षकों को अधिकतम 10 दिन के विशेष आकस्मिक अवकाश की पात्रता है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 679/332/1(3)/82, दिनांक 30-11-1982]

(7) **शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक एवं गैर शिक्षक शासकीय सेवकों को आकस्मिक अवकाश की पात्रता हेतु अवधि की गणना**—मध्यप्रदेश शासन, कार्मिक,

प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-39/3/49/88, दिनांक 6-4-88 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उच्च शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा व जनशक्ति नियोजन विभागों के अधीन शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक एवं गैर शिक्षक शासकीय सेवकों के लिये आकस्मिक अवकाश की अवधि कैलेण्डर वर्ष के स्थान पर 1 जुलाई से 30 जून तक मानी जाए।

2. आकस्मिक अवकाश उपभोग की अधिकतम सीमा—

आकस्मिक अवकाश एक समय में आठ से अधिक दिन का मंजूर नहीं किया जा सकता है।

3. स्वीकृति की अन्य शर्तें—

आकस्मिक अवकाश पर्याप्त कारणों पर ही स्वीकार किया जाना चाहिये और पात्रता से अधिक हो जाने पर पात्रतानुसार अन्य प्रकार के नियमित अवकाश में बदल दिया जाना चाहिये। आकस्मिक अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। आकस्मिक अवकाश किसी अन्य नियमित अवकाश के साथ नहीं लिया जा सकता है। आकस्मिक अवकाश अवकाश के साथ अथवा कार्यग्रहण काल के साथ भी नहीं जोड़ा जा सकता है।

4. स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी—

कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थ सभी राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों का आकस्मिक अवकाश स्वीकार करने के लिये सक्षम है। (सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो, क्रमांक-6, कंडिका 4,5 एवं 6) कार्यालय प्रमुखों के आकस्मिक अवकाश उनके वरिष्ठ अधिकारी स्वीकृत करेंगे। कार्यालय प्रमुख अपना यह अधिकार किसी अन्य अधीनस्थ अधिकारी को सौंप सकते हैं।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 342/537/एफ-ओ.एम., दिनांक 21-8-71]

5. आधे दिन का आकस्मिक अवकाश—

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक-692/1098/1 (3)/72, दिनांक 25-10-72 द्वारा दिनांक 1-11-72 से आधे दिवस का आकस्मिक स्वीकृत करने के आदेश दिये गये हैं।

6. रमजान मुबारक में शासकीय मुस्लिम कर्मचारियों को एक घंटा पूर्व कार्यालय छोड़ने की अनुमति—

छत्तीसगढ़ शासन ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के शासकीय, अर्द्धशसकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं में कार्यरत मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान माह में रोजे प्रारंभ होने के दिनांक से रोजे समाप्त होने के दिनांक (रमजान माह की समाप्ति) तक कार्यालय समय समाप्त होने के एक घंटा पूर्व कार्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाये।

यह आदेश प्रतिवर्ष आने वाले रमजान माह के लिए लागू।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 309/2000/सा.प्र.वि., दिनांक 2-12-2000 तथा क्र. एफ. 1-3/2005/1/एक, दिनांक 10-10-2005]

7. परिवार नियोजन-विशेष आकस्मिक अवकाश—

(1) परिवार नियोजन आपरेशन करवाने वाले पुरुष शासकीय सेवकों को छः दिन का विशेष अवकाश मिलने की पात्रता है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 2323/2096/1 (3), दिनांक 13-11-1959]

(2) नॉन प्यूर्परल टी.टी. (जो प्रसूति अवकाश के बाद/प्रसव के तत्काल बाद के दिनों के अलावा अन्य कभी होती है) के लिये महिला कर्मचारी को 14 दिन का विशेष अवकाश देय है। यह आदेश दिनांक 4-10-66 प्रभावशील है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 2037-सी.आर. I (ii) 66, दिनांक 4-10-1966]

(3) दो या अधिक जीवित बच्चे होने पर प्रसूति अवकाश नहीं मिलता, परन्तु ऐसी प्रसूति के बाद आपरेशन कराया जाता है, तो कर्मचारी को 14 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 1073/555/1 (3), दिनांक 8-4-1970]

(4) पत्नी के परिवार नियोजन आपरेशन कराने पर कर्मचारी पति को चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर सात दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्राप्त हो सकेगा।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 1557-सी.आर. 207-3, दिनांक 19-5-1970]

(5) पुरुष कर्मचारी की पत्नी का टी.टी आपेरशन असफल हो जाने पर यदि पत्नी का पुनः आपरेशन किया जाता है, तो उसके पति कर्मचारी को दुबारा सात का विशेष आकस्मिक अवकाश प्राप्त होगा, चाहे ऐसी शल्य-क्रिया प्रायवेट नर्सिंग होम में कराई गयी हो। परन्तु इस बाबत् प्रमाण-पत्र पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक है।

[कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग क्र. सी-3/14/86/3/1, दिनांक 5-4-1988]

(6) यदि पुरुष कर्मचारी की प्रथम शल्य-क्रिया असफल हो जाती है तो उसे दुबारा नसबन्दी कराने पर चिकित्साकीय प्रमाण-पत्र के आधार पर पुनः छः दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देय है। इस छः दिन में रविवार, सार्वजनिक अवकाश एवं स्थानीय अवकाश सम्मिलित है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 820/386/1/ (3), दिनांक 26-11-1975]

(7) महिला कर्मचारी की प्रथम शल्य-क्रिया असफल हो जाने की स्थिति में दुबारा शल्यक्रिया कराने पर पुनः 14 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश पाने की पात्रता है, यह अवकाश चिकित्सक के प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वीकृत होगा। अन्य शर्तें पूर्व के ज्ञापन दिनांक 26-11-75 के अनुसार यथावत् लागू रहेंगी।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 54-52-1-3-76, दिनांक 12-2-1976]

(8) जिस कर्मचारी की नसबन्दी हो चुकी है और वह कर्मचारी यदि अविवाहित है या उसके दो से कम बच्चे है या नसबन्दी कराने के बाद सभी बच्चों की मृत्यु हो चुकी है और यदि वह दुबारा नस जुड़वाना चाहता है तो ऐसे कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर

(i) नसबंदी आपरेशन कराने वाले पुरुषों को ऐसी अवधि तक जो छः दिन से अधिक न हो, मजदूरी,

(ii) गैर प्रसव बंधीकरण कराने वाली महिला कर्मचारियों को ऐसी अवधि तक जो 14 दिन से अधिक न हो मजदूरी,

(iii) लूप पहनने वाली महिला कर्मचारियों को एक दिन की मजदूरी।

[कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग क्र. एफ.सी. 3-8-78/3/49, दिनांक 16-3-89]

13. हरितालिका के उपलक्ष्य में महिला कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश—

यदि कोई महिला कर्मचारी हरितालिका का व्रत रखने के लिए यदि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करती है तो उसे विशेष आकस्मिक अवकाश मंजूर होगा।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एफ. 1-2/2003/1/5, दिनांक 19-8-2003]

14. कर्मचारी खिलाड़ियों को विशेष आकस्मिक अवकाश—

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. 12268/2527/1, दिनांक 17-10-57 के अनुसारअखिल भारतीय ख्याति के खिलाड़ी शासकीय कर्मचारी यदि अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के विदेशों में या भारत में आयोजित क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं तो उन्हें एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। इससे अधिक आवश्यकता होने की स्थिति में कोई अन्य देय नियमित अवकाश इससे तारतम्य में लिया जा सकता है। ऐसी दशा में विशेष प्रकरण मानकर विशेष आकस्मिक अवकाश को नियमित अवकाश के साथ जोड़ने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन इसे सामान्य आकस्मिक अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।

यह विशेष आकस्मिक अवकाश केवल निम्न मामलों में दिया जा सकता है—

(क) राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के खेल-कूद में भाग लेने के लिए; तथा

(ख) जब संबंधित सरकारी सेवक का भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में निम्न संगठनों में से किसी में दल के सदस्य की हैसियत से चयन किया जाये—

(i) अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन;

(ii) भारतीय हॉकी फेडरेशन;

(iii) भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड;

(iv) भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन;

(v) अखिल भारतीय लॉन टेनिस एसोसिएशन;

(vi) अखिल भारतीय बेडमिंटन एसोसिएशन;

(vii) अखिल भारतीय टेबल टेनिस एसोसिएशन;

(viii) अखिल भारतीय महिला हॉकी एसोसिएशन;

(ix) भारतीय राष्ट्रीय रायफल एसोसिएशन, अथवा

(2) उपरोक्त के अलावा प्रतिवर्ष क्रमशः भाद्रपद कृष्णपक्ष 11 से भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी या पंचमी तक उनके पर्युषण पर्व के लिए तथा भाद्रपद शुक्ल पक्ष 5 से भाद्रपद शुक्ल पक्ष 15 तक धार्मिक कृत्य करने के लिए कार्यालय में 12 बजे तक पहुँचने की सुविधा प्रदान की गई है, बशर्ते कि इससे शासकीय कार्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े और कर्मचारी अपना कार्य अद्यतन रखें।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एम-3-5/1990/1/4, दिनांक 17-1-1992]

17. केन्द्रीय नि:शक्त कर्मचारियों की भांति राज्य के नि:शक्त कर्मचारियों को 10 दिवसीय विशेष अवकाश—

भारत सरकार, कार्मिक तथा पेंशन मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक No. 28016/02/2007-Estt. (A) dated 14 November, 2007 द्वारा केन्द्रीय नि:शक्त कर्मचारियों को नि:शक्तजनों के उत्थान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय संस्थाओं द्वारा आयोजित, सभाओं, सेमिनार या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित होने हेतु 10 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रत्येक कैलेण्डर में देने के निर्देश जारी किए गए हैं।

2. भारत सरकार के उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य शासन तथा राज्य शासन के अधीन निगम, मण्डलों, आयोग एवं विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को भी नि:शक्तजनों के उत्थान हेतु आयोजित सभाओं, सेमिनार या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित होने हेतु 10 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में दिया जाये। यह 10 दिवस का विशेष आकस्मिक अवकाश सामान्य कर्मचारियों के समान देय 13 दिवस के आकस्मिक अवकाशों के अतिरिक्त होगा। इस विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु वहीं अधिकारी प्राधिकृत होगा, जो सामान्य आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के लिये प्राधिकृत है।

3. उक्त विशेष आकस्मिक अवकाश केवल निम्न संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिये प्रदान किया जा सकेगा—

(1) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे—यू.एन.ओ., विश्व बैंक इत्यादि द्वारा आयोजित सेमीनार/कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु।

(2) विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान जो केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा नि:शक्त व्यक्तियों की शिक्षा/पुनर्वास संबंधी कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु।

(3) नि:शक्त व्यक्ति (समान, अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 50 से 55 के अन्तर्गत नि:शक्त व्यक्तियों के मान्य संस्थाएं।

(4) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार।

(5) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की संस्थाएं एवं एजेन्सियां।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एफ.13-9/2012/1/3, दिनांक 19-12-2012]

-००० -

अध्याय **40**

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010

(Chhattisgarh Civil Services (Leave) Rules, 2010)

1. नवीन नियम की विशेषताएँ—

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग रायपुर के आदेश क्रमांक 307/10/वित्त/नियम/चार/2010 दिनांक एक अक्टूबर 2010 द्वारा प्रचलित सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 को संशोधन कर नया नियम दिनांक 1 अक्टूबर 2010 से लागू किया गया है। अब सरकारी सेवकों के अवकाश से सम्बंधित प्रकरणों का निराकरण इन्हीं नियमों के अंतर्गत होगा। इस संशोधित नियम के मुख्य बात निम्नानुसार है—

(1) अर्जित अवकाश की नई व्यवस्था—अर्जित अवकाश खाते में अग्रिम जमा उसी प्रकार किया जावेगा जैसी वर्तमान प्रचलित व्यवस्था है। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमाक जी-1/3/96/सी/चार दिनांक 20.6.96 के अनुसार दिनांक 1 जुलाई 2010 को 225 से 240 दिन का अवकाश पहले से जमा होने पर, दिनांक 1.7.2010 को अग्रिम जमा का पृथक से रखा गया हो, तब वह 1.10.2010 की स्थिति में नए अवकाश लेखे में बढ़ाकर 300 दिन कर दिया गया है। इस अवकाश का एक समय में लेने की सीमा 120 दिन से बढ़कर 180 दिन कर दिया गया है।

(2) अर्द्ध वैतनिक अवकाश की नई व्यवस्था—पूर्व अवकाश नियम के अधीन एक वर्ष में 20 दिन अर्द्ध वेतनिक अवकाश जमा किया जाता था। अब नई व्यवस्था में इसे बढ़ाकर अब 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को दस-दस दिन का अग्रिम खाते में जमा किया जावेगा। चूँकि नया वर्ष दिनांक 1.11.2011 से प्रारम्भ होगा अत: इसके पूर्व जिस तिथि को पिछले पूर्ण वर्ष का अवकाश खाते जमा किया जावेगा या जमा किया जा चुका है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। परन्तु, उसके बाद तथा 31.12.2010 के बीच की अवधि की गणना प्रत्येक पूर्ण कलेण्डर माह के लिए डेढ़ माह के लिए करके 1.1.2011 को शेष में शामिल कर दिया जावेगा। इसके पश्चात् नई व्यवस्था के तहत 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को दस-दस दिन का अग्रिम जमा किया जावेगा।

टिप्पणी—अर्द्ध वैतनिक खाते में जमा की गई राशि एवं उसको लेने की कोई अधिकतम सीमा का बंधन नहीं है।

(3) मातृत्व अवकाश की व्यवस्था—नवीन अवकाश नियम में मातृत्व अवकाश (Materinity leave) एवं दत्तक ग्रहण (Adaption) अवकाश को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है। यदि कोई महिला इस नियम के प्रभावशील होने की तिथि को मातृत्व अवकाश पर थी, तब उसे 180 दिन का अवकाश का लाभ मिलेगा।

4. पितृत्व अवकाश—पूर्व नियम के अधीन एक बच्चे तक ही पितृत्व अवकाश सीमित था। नए नियम में इसे बढ़ाकर दो बच्चों तक कर दिया गया है।

अध्याय

41

अर्जित अवकाश का नगदीकरण
(Leave Encashment)

1. सेवानिवृति पर अवकाश नगदीकरण—

(1) पात्रता—अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत होने वाले शासकीय सेवकों को, स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले, शासन द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए जाने वाले तथा असमर्थ पेंशन पर सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को यह देय है।

टिप्पणी—कार्य भारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अवकाश नगदीकरण की पात्रता नहीं है।

(2) अधिकतम सीमा—सेवा निवृत्त होने के दिनांक को अवकाश लेखे में शेष बचे अर्जित अवकाश के बराबर, परन्तु जो 240 दिन से अधिक नहीं हो, के लिए यह देय है।

टिप्पणी—नगदीकरण तथा समर्पण अवकाश की कुल सीमा से उससे अधिक नहीं होगी जो शासकीय सेवक अपनी पूरी सेवा में रहते वर्तमान आदेशों के अधीन अवकाश का समर्पण करता है।

(3) एकमुश्त भुगतान—अवकाश वेतन के बराबर स्वीकार नगद राशि सेवानिवृति पर देय होगी और उसकी अदाएगी एक ही बार भुगतान के रूप में की जावेगी।

(4) अवकाश वेतन- अवकाश वेतन वही होगा जो कर्मचारी को अर्जित अवकाश पर जाने पर मिलता है इसमें नगर क्षतिपूर्ति भत्ता शामिल नहीं होता है। अवकाश भत्ता गणना का सूत्र इस प्रकार है।

$$= \frac{\text{वेतन + महगाई भत्ता}}{30} \times \text{समर्पित अवकाश के दिनों की संख्या}$$

(5) सक्षम आधिकारी—कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी ही अवकाश नगदीकरण के लिए सक्षम अधिकारी है।

[वित्त विभाग क्र. 13/77/नि-1/चार, दिनांक 16-6-1980]

2. मृत्यु पर अर्जित अवकाश का नगदीकरण—

(1) पात्रता—ऐसे शासकीय सेवक जो निम्न श्रेणी में नहीं आते, वे अवकाश नगदीकरण के लिए पात्र है—

(i) आखिल भारतीय सेवा के अधिकारी अथवा सेवक जिन्हें आखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए लाभ अखिल भारतीय सेवा सेवानिवृत्त नियमों के अन्तर्गत यह लाभ देय है।

(ii) कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी।

अध्याय
44

सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955
(General Provident Fund Rules, 1955)

1. सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955—

शासकीय सेवकों द्वारा सामान्य भविष्य निधि में अनिवार्यत: किए जा रहे अंशदान के विनियमन एवं संधारण हेतु सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955 लागू किया गया। परन्तु यह नियम छत्तीसगढ़ सिविल सेवा में दिनांक 1 नवम्बर 2004 के बाद नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

2. सामान्य भविष्य निधि नियम के महत्वपूर्ण प्रावधान—

(1) **निधि का गठन तथा अंशदान की पात्रता**—(i) इस निधि पर राज्य सरकार का प्रशासकीय नियंत्रण होगा।

(ii) ऐसे कर्मचारी जो ठेके पर रखे गए है या जिन्हें पुन: नियुक्त किया गया है उनको छोड़कर, समस्त शासकीय सेवक जो शासन द्वारा निर्धारित सेवा शर्तो के अधीन कार्यरत है, इस निधि में अंशदान हेतु पात्र है।

(iii) समस्त शासकीय सेवक, जो निधि में अंशदान के पात्र है, अनिवार्यत: उसमें अंशदान करेंगे, परन्तु राज्य सरकार अगर चाहे तब किसी विशेष प्रकरण में अंशदान से छूट दे सकती है।

(2) **अंशदान की राशि**—निम्न लिखित शर्तो के अधीन, अंशदान की राशि निर्धारित की जायेगी—

(i) राशि पूर्ण रूपए में अधिकतम की जावें।

(ii) यह राशि कितनी भी हो सकती है, जो कि परिलब्धियों के 12% से कम नहीं हो सकेगी तथा परिलब्धियों से अधिक नहीं हो सकती।

3. अंशदान की राशि का निर्धारण—

नियम 11(3) के अधीन, अभिदाता उसके मासिक अंशदान की सूचना निम्नानुसार विधि अनुसार अपने आहरण एवं संवितरण अधिकारी को देगा—

(i) यदि वह पिछले वर्ष की 31 मार्च को कर्त्तव्य पर था तब वह उस माह के वेतन देयक से इस संबंध में, जो राशि जमा कराना चाहता है।

(ii) यदि वह पिछले वर्ष के 31 माह को अवकाश पर था तथा उसने अवकाश के दौरान अंशदान नहीं देने का चयन किया है अथवा उस दिन निलम्बित है, तो कर्त्तव्य पर लौटने के पश्चात् प्रथम देयक से काटी जाने वाली अंशदान की राशि।

(iii) यदि वह पहली बार वर्ष के दौरान सेवा में प्रविष्ट हो रहा है तो अपने वेतन देयक से इस संबंध में काटी जाने वाली राशि।

(iv) उपरोक्तनुसार नियत किए गए अंशदान की दर में वर्ष के दौरान कोई फेर-बदल नहीं होगा चाहे उसके वेतन की दर में बढोत्तरी या कमी, जो कि पिछले वर्ष के 31 माह को देय हो चुकी है अथवा वर्ष के दौरान देय होगी, किन्तु निम्न परिस्थितियों में फेरबदल हो सकता है—

(क) यदि अभिदाता माह के कुछ समय में कार्य पर रहे तथा कुछ समय बिना वेतन अवकाश पर रहे और उसने अवकाश अवधि का अंशदान नहीं देने का चयन किया हो।

(ख) किसी माह के दौरान मृत्यु हो जाने पर अंशदान नहीं काटा जायेगा।

(नियम 11)

4. अंशदान का निलम्बन—

निलम्बन अवधि में अथवा अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त पर होने की तिथि के 4 माह पूर्व से अंशदान बंद हो जायेगा। अभिदाता लिखित में विकल्प देकर उन माहों में, जिसमें अभिदाता पूरे माह अर्धवेतन अवकाश पर रहा है अपना कम से कम आधे माह तक बिना वेतन असाधारण अवकाश पर रहा है तब अंशदान न करने का चयन कर सकता है। (नियम 10(1))

5. अंशदानों की वसूली—

(i) जब वेतन राशि राज्य के किसी कोषालय से निकाली जायेगी तब इन वेतन राशियों का अंशदान एवं अग्रिमों का मूलधन एवं ब्याज इन वेतन राशियों में से घटाया जायेगा।

(ii) जब वेतन राशियाँ अन्य किसी स्रोत से निकाली जाये वहाँ अंशदाता द्वारा अपनी देनदारियाँ लेखा अधिकारी को अग्रेसित की जावेगी अथवा उपयुक्त शीर्ष में शासकीय लेखे में चालान से जमा की जावेगी। (नियम 13)

6. प्रतिनियुक्ति पर शासकीय सदस्यों की सदस्यता—

बाह्य सेवा अथवा प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए शासकीय सेवक नियमों के अधीन उसी प्रकार अभिदाता बने रहेंगे, जैसे कि वे इस सेवा में जाने के पूर्व थी। (नियम 12)

टिप्पणी—वित्त एवं योजना विभाग के ज्ञापन क्रमांक 596/557/वि/नि/चार/2003, दिनांक 29 जुलाई 2003 द्वारा समस्त विभाग/विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि प्रतिनियुक्त पर पदस्थ शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि अंशदान बाह्य नियोजकों से प्राप्त करें तथा कटौती का विवरण महालेखाकार छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत करें।

7. नामांकन—

(क) अभिदाता सामान्य भविष्य निधि के सदस्य बनने के साथ ही प्रपत्र जी.पी.एफ. 3-ए (यदि अभिदाता का परिवार नहीं है) में अपना सामान्य भविष्य निधि नामांकन पत्र चार प्रतियों में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करेगा। अभिदाता अपनी मृत्यु होने की स्थिति में सामान्य भविष्य निधि की संपूर्ण राशि या कोई भाग (Share) प्राप्त करने के लिये एक या एक से अधिक व्यक्ति को नामांकित कर सकता है। अभिदाता किसी भी समय नामांकन पत्र निरस्त कर सकता है एवं

अध्याय 45

सामान्य भविष्य निधि खाता के विषय में महत्वपूर्ण संशोधित निर्देश

(Important Orders on GPF)

1. ई-कोष आइलाइन पोर्टल—

शासकीय सेवकों के सामान्य भविष्य निधि खातों का विवरण ई-कोष ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित है। इसे शासकीय सेवकों द्वारा निम्नानुसार देखा जा सकता है—

(i) Internet-browser के Address Bar में वेबसाईट http:/cg.nic.m/dtapको अंकित कर Enter करें।

(ii) वेबपेज खोलने पर प्रदर्शित सूची के रिपोर्ट लिंक (Reports Link) के अन्तर्गत प्रदर्शित AG Interface को क्लिक करें।

(iii) प्रदर्शित मेनूबार में Employes Code number पासवर्ड कोड नम्बर और जन्म तिथि एक साथ लिखने तथा सुरक्षा कोड में अंकित शब्द को निर्धारित यथास्थान में लिखा जाना है।

(iv) प्रदर्शित मेनूबार पर वर्ष चयन कर Submit करने पर शासकीय सेवक के सामान्य भविष्य निधि खाते के चयनित वर्ष का वित्तीय विवरण प्रदर्शित हो जायेगा।

[वित्त विभाग क्र. 1801/एक2014-04-00935/ब-4/चार, दिनांक 22-02-2014]

2. छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग क्र. 92/एफ 2014-04-00907/वि/नि/चार, दिनांक 24-02-2014—

वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र क्र. 196/137/वि/नि/चार/2004, दिनांक 6 मार्च, 2004, क्र. 278/250/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 19-09-2007, क्र. 91/313/वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 23-04-2008, क्र. 84/157/वित्त/नियम/चार/2009, दिनांक 08-04-2009 एवं क्र. 267/102/वित्त/नियम/चार/2011, दिनांक 17-08-2011 के माध्यम से सामान्य भविष्य निधि प्रकरणों के निराकरण संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छ.ग. रायपुर द्वारा अपने अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 20-01-2014 द्वारा अवगत कराया गया है कि म.प्र. शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 1774/2121/2000/C/4 दिनांक 25-08-2000 एवं संदर्भित परिपत्रों के निर्देशों का अधिकांश आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा उचित रूप से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान के प्रकरण सेवानिवृति के चार माह पूर्व महालेखाकार को प्रेषित करने के निर्देश हैं किन्तु, अधिकांश मामलों में प्रकरण सेवानिवृत्ति के कई माह पश्चात् प्रेषित किये जा रहे हैं जिससे शासन को ब्याज की अनपेक्षित हानि होती है साथ ही अभिदाता को समय पर प्राधिकार पत्र प्राप्त नहीं होता है। अतः छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्देशित किया जाता है कि,

(1) छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम 10(1) ''क'' के अनुसार संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वह सेवानिवृत्ति के चार माह पूर्व सामान्य भविष्य निधि अंशदान की कटौती बंद करें। परन्तु कुछ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा उक्त प्रावधान को ध्यान न देते हुए सेवानिवृत्ति दिनांक तक कटौती किया जाता है, जो सामान्य भविष्य निधि नियम का स्पष्ट उल्लंघन है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सामान्य भविष्य निधि प्रकरण के अंतिम भुगतान में किये जा रहे विलम्ब के फलस्वरूप अभिदाता को अधिक ब्याज के साथ सुरक्षित निवेश बिना आयकर भुगतान प्राप्त होता रहता है।

(2) महालेखाकार द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि कतिपय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अंतिम भुगतान का प्राधिकार पत्र प्राप्त होने के उपरांत तत्परता से भुगतान न किया जाकर अनावश्यक विलम्ब किया जाता है जिसके कारण बहुत से अभिदाता विधिक फोरम के माध्यम से ज्यादा ब्याज की मांग करते हैं। ऐसी स्थिति आपत्तिजनक है।

(3) महालेखाकार द्वारा यह तथ्य भी राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा सामान्य भविष्य निधि पासबुक का समुचित रखरखाव नहीं किया जा रहा है जिसमें मुख्य रूप से खाते से आहरणों की प्रविष्टि तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं किया जाना शामिल है। सामान्य भविष्य निधि पासबुक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा सामान्य भविष्य निधि पासबुक के उचित रखरखाव के बिना अभिदाता के क्रेडिट/डेबिट के विवरण उपलब्ध नहीं हो पाते है जिससे प्रकरण के निराकरण में कठिनाई आती है।

(4) उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि अधिकांश कार्यालय प्रमुखों द्वारा सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान प्रकरणों के निराकरण में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिससे सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को समय पर राशि का भुगतान नहीं हो पाता है और राज्य शासन को अतिरिक्त ब्याज का भार भी उठाना पड़ता है। सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि सामान्य भविष्य निधि से संबंधित सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। विभागीय अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्यालयीन निरीक्षणों में भी इन निर्देशों के पालन की प्रगति की समीक्षा की जाए तथा प्रकरण में विलंब या त्रुटि हेतु जिम्मेदारी निर्धारित कर संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 92/एफ 2014-04-00907/वि/नि/चार, दिनांक 24-2-2014]

3. छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग क्र. 376/एल 2014-71-00209/वि/नि/चार, दिनांक 19-09-2014—

छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम के नियम 14(4) में यह प्रावधान है कि शासकीय सेवक के सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान के मामले में उनके खाते में शेष राशि के अलावा राशि भुगतान करने वाले माह के पूर्ववर्ती माह तक के ब्याज का भुगतान किया जाता है, अर्थात् महालेखाकार को निर्धारित प्रपत्र में कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रेषित कर्मचारी की अंतिम

अध्याय

46

सेवानिवृत्त लाभ

(Retirement Benefits)

1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976—

यह नियम, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के विभिन्न वर्गों के सेवानिवृत्त लाभों, जैसे पेंशन, उपदान, इत्यादि के विनियमन हेतु उपबन्धों को स्थापित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

परन्तु इन नियमों के उपबन्ध ऐसे शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होंगे, जो दिनांक 1 नवम्बर 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में नियुक्त हुए है।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 977/सी-761/वि/नि/चार, दिनांक 27-10-2004]

2. पेंशन, उपदान या परिवार पेंशन के दावों का नियमन—

(1) शासकीय सेवक की अधिवार्षिकी सेवा निवृत्ति या उसकी मृत्यु के समय स्थापित नियमों के अधीन पेंशन, उपदान या परिवार पेंशन का नियमन किया जाता है।

(2) कार्यालय या विभाग में की गई सेवा पेंशन हेतु अहर्तादायी है अथवा नहीं, इसका निर्धारण इन प्रचलित नियमों के अधीन किया जायेगा जो सेवा से संपादन के समय प्रभावशील है।

(3) जिस दिन पूर्वान्ह से कोई शासकीय सेवक सेवानिवृत्त होता है या किया जाता है अथवा सेवामुक्त या सेवा से त्याग पत्र स्वीकार किया जाता है, जैसा भी प्रकरण हो, उस दिन को कार्य दिवस नहीं माना जायेगा, परन्तु मृत्यु के दिन को कार्य दिवस माना जायेगा। [नियम 5]

3. पेंशन या परिवार पेंशन निरन्तर चालू रहने की शर्त—

(1) पेंशनधारी का सदाचारी होना, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 8 के अधीन एक महत्वपूर्ण शर्त पेंशन या परिवार पेंशन के सदा निरन्तरता के लिए है।

(2) यदि कोई पेंशनधारी को किसी गंभीर अपराध करने का दोषी पाया जाता है अथवा गंभीर कदाचरण करने का आरोपी ठहराया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी (नियुक्तिकर्त्ता) अधिकारी उसकी सम्पूर्ण पेंशन या उसके किसी अंश को हमेंशा के लिए अथवा किसी भी निर्दिष्ट अवधि के लिए रोक सकता है, या वापस ले सकता है। यदि पेंशन के किसी अंश को रोका जाता है तो शेष पेंशन न्यूनतम पेंशन से कम नहीं होगी। परन्तु पेंशन रोके जाने का ऐसा आदेश पारित करने के पूर्व नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी पेंशनधारी को बचाव का अवसर प्रदान करेगा।

(3) नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी अगर राज्यपाल है, तब लोक सेवा आयोग से परामर्श कर आवश्यक आदेश जारी करेंगे। राज्यपाल के आदेश के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार्य नहीं होगी। अगर अन्य किसी अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया है तब राज्यपाल को अपील प्रस्तुत हो सकेगी।

टिप्पणी—(1) गम्भीर अपराध से अभिप्राय कार्यालयीन गोपनीय अधिनियम (Official Secret Act) (क्र. 19 सन् 1923) में परिभाषित गम्भीर अपराध से है।

(2) गम्भीर दुराचरण (Grave Misconduct) शब्द का अभिप्राय, शासन में किसी पद पर रहते हुए, कार्यालयीन गोपनीयता अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल, किसी सूचना के संचार या प्रसंग या शब्द भेद या कोई नक्शा या योजना, नमूना, सामग्री टीप, अभिलेख, जैसाकि अधिनियम के खण्ड 5 में उल्लेखित है, जिससे देश की सुरक्षा या सामान्य जनहित पर हानिकारक रूप से प्रभाव पड़े।

4. पेंशन रोकने या वापिस लेने की सक्षमता—

(1) पेंशन को रोकने या पेंशन या उसके किसी भाग को वापस लेने, चाहे वह स्थाई हो या फिर किसी निर्धारित अवधि के लिए हो अथवा किसी विभागीय या न्यायायिक कार्यवाही में पेंशन भोगी से उसके द्वारा की गई उपेक्षा या गंम्भीर कदाचरण के लिए दोषी पाए जाने पर या शासन को हुई आर्थिक हानि के पूर्ण या उसके किसी अंश का वसूलने के आदेश देने का अधिकार राज्यपाल में सुरक्षित है।

परन्तु अन्तिम आदेश देने के पूर्व लोक सेवा आयोग की सलाह लेना आवश्यक होगा तथा जहाँ पेंशन का कुछ अंश रोका गया है या वापिस किया जाता है इस प्रकार शेष पेंशन न्यूनतम से कम नहीं होगी। [पेंशन नियम 9]

(2) उक्त नियम सेवानिवृत्ति अपरान्त संविदा आधार पर नियुक्त पेंशनधारियों को भी लागू होगी। [वित्त विभाग क्र. 394/सी-158/वि/नि/चार, दिनांक 22-9-2005]

टिप्पणी—(1) सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एक-1-1/2008/1 एक दिनांक द्वारा छत्तीसगढ़ कार्य नियम में संशोधन करते हुए उक्त मामले को मंत्री परिषद में रखे जाने वाले मामले से विलोपित करते हुए पेंशन नियम 1976 के नियम 9 के अधीन पेंशन को रोके, वापस लेने एवं कम करने संबंधी प्रकरण समन्वय के मामले की सूची में शामिल किया गया है।

(2) तदनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि पेंशन नियम 9(1) में अन्तर्गत पेंशन को रोकने एवं वापस लेने तथा नियम 9(2) के अधीन शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुए या पुर्ननियुक्त के दौरान शासकीय कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थापित नहीं करने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के उपरान्त विभागीय जाँच संस्थापित करने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के उपरान्त विभागीय जाँच संस्थापित करने सम्बन्धी प्रकरण पर समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश प्राप्त करना होगा।

[वित्त विभाग क्र. 103/एफ 2017-46-00/95/वित्त/नियम/चार, दिनांक 2-5-2017]

5. सेवानिवृत्ति के उपरान्त व्यवसायिक नियोजन—

(1) यदि कोई पेंशनर जो सेवानिवृत्ति के तत्काल पहले राज्य की प्रथम श्रेणी की सेवा में था, सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व कोई व्यावसायिक नौकरी शासन की स्वीकृति प्राप्त किये बिना स्वीकार नहीं कर सकता है।

8. पेंशन नियमों की भावना के अनुरूप एक आदर्श मॉडल के रूप में मंत्रालय स्तर पर सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति के दिनांक को पी.पी.ओ./जी.पी.ओ. वितरित करने की व्यवस्था अगले माह से प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9. पेंशन प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब होने के मुख्य कारणों में से एक कारण यह भी है कि शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण का अनुमोदन का कार्य कार्यालय प्रमुख स्तर पर सेवानिवृत्ति तिथि तक लंबित रहता है। सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन प्रकरण संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन को प्रेषित किये जाने के पश्चात् वेतन निर्धारण की जांच किये जाने पर अधिक भुगतान की स्थिति निर्मित होने पर शासकीय सेवकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, अतः समस्त शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण की जांच/अनुमोदन का कार्य समय-समय पर वेतनमानों के पुनरीक्षण (आदेशों के जारी होने के एक वर्ष की समयावधि के भीतर) संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के कार्यालय से अनिवार्य रूप से करा लिया जाय।

शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका हमेशा अद्यतन रखी जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी शासकीय सेवक के अधिवार्षिकी आयु के 2 वर्ष पूर्व सभी वेतन निर्धारण की जांच कर ली गई है तथा वेतन निर्धारण के अनुमोदन उपरान्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा दी गई टीप अनुसार वेतन नियमन यथासमय किया जाकर यदि वसूली हो तो, सेवा में रहते हुए वसूली की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय। सेवा अवधि में अधिक भुगतान की वसूली पूर्ण न होने पर उक्त विलम्ब हेतु जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए जिम्मेदार व्यक्ति/व्यक्तियों से वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

राज्य शासन की स्पष्ट मंशा है कि उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

[वित्त विभाग क्र. 250/250/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 21-8-2007]

30. पेंशन पर उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण कुछ निर्णय—

(1) जी.वाई. परांजपे वि. आयुक्त, 2005(1) इ.ए.सी. 108, 112, 113 एवं 105 (बाम्बे)—इस प्रकरण में बाम्बे उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि शासकीय सेवक कभी-कभी सेवानिवृत्त हुआ हो एवं पेंशन का लाभ ले रहा है, अगर पेंशन योजना में भविष्य में कोई परिवर्तन होता है तब ऐसे शासकीय सेवक को इसका लाभ लेने से इस आधार पर अवरुद्ध नहीं किया जा सकता कि वह बहुत पहले सेवानिवृत्त हो चुका है। न्यायालय ने यह माना है कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। अतः पेंशन योजनाओं में जब-जब भी परिवर्तन होगा उसका लाभ पूर्व में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी प्राप्त होगा।

(2) एक्शन कमेटी, दक्षिण-पूर्व रेल्वे पेंशनर्स वि. भारत सरकार 1991 सूपा (2) एस.एस.सी. 544 : (1991) 5 जेटी (एस.सी.) 8—दक्षिण-पूर्व रेल्वे पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों को विशेष महंगाई भत्ता उनके पेंशन राशि के ऊपर दी जा रही थी। उन्होंने उच्चतम न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर, यह माँग की कि उनके महंगाई भत्ते को महँगाई वेतन

अध्याय

50

समूह बीमा योजना एवं परिवार कल्याण निधि योजना

(Group Insurance Scheme and Family Benefits Fund Scheme)

1. समूह बीमा योजना—

(1) योजना की प्रभावशीलता—राज्य शासन के समस्त कर्मचारियों के लाभार्थ य... योजना, राज्य शासन द्वारा, दिनांक 1.7.85 से लागू की गई। इस योजना से पूर्व, राज्य परिवार कल्याण निधि योजना 1974 लागू थी। राज्य शासन द्वारा लागू की समूह बीमा योजना में यह व्यवस्था दी गई कि जो कर्मचारी, इस नवीन योजना का वरण नहीं किए हैं, वे सेवानिवृत्ति तक या आगे भी इस नई योजना का वरण न करने की स्थिति में, पुरानी योजना के ही सदस्य बने रहेंगे तथा उनके दावे, उस पुरानी योजना के नियमों के अधीन ही निपटाए जावेंगे।

(2) समूह बीमा योजना की सदस्यता—(i) यह योजना, उन सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्यतः लागू होगी, जो इस योजना को अधिसूचित किए जाने के बाद शासकीय सेवा में आए है।

(ii) योजना के सदस्य के रूप में, नामांकित सेवा के प्रत्येक सदस्य को, उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा फार्म 2 में उसके नामांकित दिनांक को और उसके वेतन से अंशदान के रूप में की जाने वाली कटौती को सूचित किया जाएगा। इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जावेगी। इसकी सूचना चार प्रतियों में बनाई जावेगी। एक प्रति शासकीय सेवक को, एक प्रति संचालक जीवन बीमा विभाग को, एक प्रति सम्बंधित विभागाध्यक्ष को तथा एक प्रति सेवा पुस्तिका में चिपकाई जावेगी। [योजना का नियम 4(4)]

(3) लेकिन योजना के वर्ष-दिवस से भिन्न किसी माह में सेवा प्रविष्ट होने वाले कर्मचारियों के वेतन से अभिदान की राशि 30% राशि की कटौती तत्काल प्रारम्भ कर देनी चाहिए ताकि समूह बीमा का लाभ कर्मचारी को सुनिश्चित किया जा सके।

[योजना का नियम ...]

(4) योजना में अंशदान की दर—(i) जब योजना को दिनांक 1.7.85 से लागू किया गया तब योजना में अंशदान की दर निम्नानुसार थी—

अनु.	कर्मचारी की श्रेणी	अंशदान प्रतिमाह (रुपए में)
1.	प्रथम श्रेणी	80/-
2.	द्वितीय श्रेणी	60/-
3.	तृतीय श्रेणी	50/-
4.	चतुर्थ श्रेणी	30/-

(ii) अंशदान की दर वृद्धि—(एक) दिनांक 1.7.90 से अंशदान और अनुरूपी बीमा रक्षण की दर में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई। इसी बढ़ी हुई दर का चयन करने अथवा नहीं करने के विकल्प को अनिवार्य किया गया। एक बार दिए गए विकल्प को अन्तिम माना गया।

(दो) दिनांक एक जनवरी 1996 से पुनः अंशदान में वृद्धिकर क्रमशः इसे रु. 100/-, रु. 120/-, रु. 100/-, एवं रु. 60/- श्रेणीवार किया गया।

(तीन) दिनांक 1 जुलाई 2003 से पुनः अंशदान की दर में वृद्धिकर क्रमशः रु. 240/-, रु. 180/-, रु. 150/- एवं रु. 90/- श्रेणीवार किया गया।

[वित्त विभाग क्र. 340/322/वि/नि/चार/03, दिनांक 29-4-2003]

(चार) दिनांक 01 जुलाई 2017 (जून 2017 का वेतन जुलाई 2017 में देय) से दरे निम्नानुसार संशोधित की गई है—

समूह	वर्ग	अंशदान प्रतिमाह (रुपए में)		बीमा राशि (रुपये में)	
		1.7.2003 से 30.6.2017 तक	1.7.2017 से	1.7.2003 से 30.6.2017 तक	1.7.2017 से
ए	प्रथम	240/-	480/-	2,40,000/-	4,80,000/-
बी	द्वितीय	180/-	360/-	1,80,000/-	3,60,000/-
सी	तृतीय	150/-	300/-	1,50,000/-	3,00,000/-
डी	चतुर्थ	90/-	180/-	90,000/-	1,80,000/-

टिप्पणी—बढ़ी हुई दरों के विषय में छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 252/एल 2015-71-00406/वित्त/नियम/चार, दिनांक 27.5.2017 द्वारा जारी निर्देश के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है—

(1) पूर्व की भाँति अंशदान का 30% भाग बीमा निधि तथा शेष 70 प्रतिशत भाग बचत निधि में जमा होगा।

(2) दिनांक 1.7.2017 से अंशदान (बीमा निधि एवं बचत निधि) की बढ़ी दरें उन सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगी, जो वर्तमान में समूह बीमा योजना के सदस्य है। कर्मचारियों को इन बढ़ी हुई दरों को स्वीकार करने या न करने का विकल्प नहीं होगा।

(3) छत्तीसगढ़ संवर्ग में पदस्थ अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को यह लाभ प्राप्त नहीं होगा क्योंकि वह समूह बीमा योजना 1985 के सदस्य न होते हुए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना 1980 के सदस्य है।

2. बचत राशि ब्याज—

कर्मचारी के सेवानिवृत्ति या सेवा में नहीं रहने या सेवा के दौरान मृत्यु होने पर योजना के बचत निधि में जमा राशि ब्याज समेत वापस कर दी जाती है। शासन द्वारा ब्याज की दर निम्नानुसार निर्धारित की है—

अध्याय

51 नवीन अंशदायी पेंशन योजना, 2004

(New Contributory Pension Scheme, 2004)

1. नवीन अंशदायी पेंशन योजना, 2004—

पूर्वस्थापित पेंशन योजना में बदलाव करते हुए नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 1 नवम्बर 2004 से लागू की गई है, इसकी मुख्य बातें इस प्रकार है—

(1) यह योजना इस दिनांक के बाद (1.11.2004) सरकारी सेवा में भर्ती हुए सभी श्रेणी के सरकारी कर्मचारी पर लागू होगा।

(2) नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ, यह योजना, आकास्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों एवं कार्यभारित सेवा स्थाई/अस्थाई कर्मचारियों की भी लागू हो। किन्तु, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा नियुक्तियों तथा शिक्षाकर्मियों में लागू नहीं है।

(3) दिनांक 1.11.2004 को या इसके बाद नियुक्त सरकारी अधिकारी/कर्मचारी पर, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 तथा छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955 के उपबंध लागू नहीं होंगे।

(4) इस योजना में कर्मचारी अपने मूल वेतन तथा महँगाई भत्ता के योग का 10% हिस्सा अंशदान के रूप में जमा करेगा तथा शासन भी पेंशन निधि में इतनी ही राशि नियोजक हिस्से के रूप में जमा करेगी।

(5) इस योजना में शामिल होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को एक स्थाई रिटायरमेन्ट खाता क्रमांक आवंटित होगा। यह खाता क्रमांक नेशनल सिक्यूरिटी डिपाजिटरी लि. (NSDL) द्वारा आवंटित किया जावेगा।

(6) प्रत्येक शासकीय सेवक सेवा में प्रविष्ट होते ही प्ररूप 1 में स्वयं से सम्बंधित जानकारी अपने कार्यालय प्रमुख को देंगे।

(7) स्थाई रिटायमेन्ट खाता (Permanent Retirement Account Number) नम्बर आहरण एवं संवितरण अधिकारी के द्वारा लिखित में सम्बंधित कर्मचारी को दिया जावेगा तथा यह उसके सेवा पुस्तिका में अंकित कर दी जावेगी।

(8) यह स्थाई रिटायमेन्ट खाता क्रमांक पूरे सेवाकाल के लिए एक ही होगा, चाहे वह प्रतिनियुक्ति पर बाह्य सेवा में पदस्थ हो जावे अथवा अन्यत्र कहीं स्थानान्तरण पर पदस्थ होने पर भी।

(9) इस योजना के अधीन आने वाले कर्मचारियों का वेतन देयक पृथक से तैयार होगा। इस वेतन देयक के साथ कटौतियाँ तीन प्रतियों में संलग्न करना होगा।

(10) जो कर्मचारी बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे, उसका मासिक अंशदान तथा

नियोक्ता का अंशदान चालान द्वारा कोषालय अथवा बैंक में जमा किया जा सकता है। उसके साथ ही बैंक ड्राफ्ट द्वारा मूल विभाग को भी भेजा जा सकता है।

2. आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही—

(1) शासकीय सेवक की व्यक्तिगत जानकारी प्रपत्र-1 में भरवाने की जिम्मेदारी आहरण एवं वितरण अधिकारी की होगी।

(2) प्रपत्र-3 में जानकारी प्रेषित कर केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेंसी (NSDL) से पंजीकरण करना।

(3) केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेन्सी से स्थाई रिटायरमेन्ट खाता क्रमांक प्राप्त करने हेतु कर्मचारी से प्राप्त प्रपत्र-1 में जानकारी संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन को भेजना।

(4) स्थाई रिटायरमेन्ट खाता क्रमांक की प्रविष्टि वेतन देयक पंजी एवं सेवा पुस्तिका में कराना।

(5) प्ररूप-5 में एक लेजर का संधारण करना। इसमें प्रतिमाह वेतन से किए जाने वाले अंशदान की प्रविष्टि करना।

(6) वार्षिक लेखा पर्ची प्राप्त होने पर कटौतियों का मिलान इस पंजी से करना।

3. नवीन अंशदायी पेंशन योजना की व्यवस्था हेतु राज्य शासन के निर्देश—

नवीन अंशदायी पेंशन योजना के क्रियान्वन हेतु छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2004 से 2009 तक भिन्न-भिन्न निर्देश जारी किया गया है, जिसका मुख्य अंश इस प्रकार है—

(1) पेंशन निधि विनियमन एवं विकास अभिकरण द्वारा एन.पी.एस. ट्रस्ट की स्थापना करते हुए स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन इण्डिया लिमिटेड को कस्टटोडिएन नियुक्त किया गया है। पेंशन फण्ड मैनेजर के रूप में एस.वी.आई. पेंशन फण्ड लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट साल्यूशन लि. तथा एल.आइ.सी. पेंशन फण्ड लिमिटेड को नियुक्त किया गया है।

(2) बैंक ऑफ इण्डिया को ट्रस्टी बैंक नियुक्त किया गया है जिसका मुख्य दायित्व योजना की राशि का सही समय में संग्रहण एवं प्रेषण होगा।

(3) पेंशन फण्ड मैनेजरों द्वारा खाताधारियों की राशि पेंशन निधि विनियमन एवं विकास अधिकरण के निर्देशों का पालन करते हुए शासकीय प्रतिभूतियों एवं इक्विटी में विनियोजित किया जावेगा, जिस पर कस्टोडियन का नियंत्रण होगा।

(4) केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेन्सी को सी.आर.ए. नियुक्त किए जाने से स्थाई रिटायरमेन्ट एकाउन्ट नम्बर (PRAN) इस एजेन्सी द्वारा ही जारी किया जावेगा। चूँकि छत्तीसगढ़ शासन की ओर से संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन तथा केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेन्सी के मध्य अनुबंध निष्पादित हो चुका है अतः आहरण एवं संवितरक अधिकारी द्वारा संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन के मध्य से शासकीयसेवक की जानकारी प्रस्तुत करने के एक माह में पंजीयन पूर्ण लिया

जाना चाहिए।

(5) दिनांक 1.1.2009 से PRAN प्राप्त करने हेतु प्रपत्र-1 में शासकीय सेवक अपनी जानकारी तीन प्रतियों में आहरण एवं संवितरक के माध्यम से संचालक कोष एवं लेखा तथा पेंशन को प्रेषित करेगा। संचालक उसे PRAN हेतु केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेन्सी को प्रेषित करेगा। केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेन्सी, स्थाई रिटायरमेन्ट एकाउन्ट नम्बर का आवंटन कर तत्काल उसकी सूचना नोडल अधिकारी (संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन) को देगा जिसे नोडल अधिकारी द्वारा सम्बंधित आहरण एवं संवितरक अधिकारी को प्रेषित कर दिया जावेगा।

(6) दिसम्बर 2008 तक संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा आवंटित एवं जारी अस्थाई पेंशन लेखा क्रमांक (PPAN) को केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेन्सी को प्रेषित कर इसके आधार पर PRAN जारी करने की कार्यवाही करेगा।

(7) बिना PRAN के बिल कोषालय में स्वीकार नहीं किया जावेगा। जिन शासकीय सेवकों को 31.12.2008 तक आवंटित PPAN नम्बर के स्थान पर PRAN आवंटित किया जाना है, वे अपनी जानकारी प्रपत्र-1 में नोडल अधिकारी के माध्यम से केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेन्सी को भेजेंगे।

(8) दिनांक 1.1.2009 से प्रस्तुत होने वाले देयकों में PRAN अंकित करने के लिए एन.आइ.सी. के सहयोग से संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन पृथक् से एक साफ्टवेयर तैयार करेगा और उसकी सूचना समस्त कोषालय अधिकारियों एवं आहरण तथा संवितरण अधिकारियों को देगा।

(9) अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत जमा राशि को वर्तमान में पेंशन निधि विनियमन एवं विकास अधिकरण द्वारा तय की गई डिफाल्टर स्कीम में निवेश किया जावेगा तथा उस पर प्राप्त व्याप्त/लाभांश सम्बंधित शासकीय सेवक के खाते में जमा किया जावेगा।

(10) जमा राशि के निवेश हेतु भविष्य में तीन विकल्पों की सुविधा दी जावेगी, जिसमें निश्चित आय वर्ग तथा इक्विटी में अलग-अलग निवेश की सुविधा होगी। अंशदाता अपनी इच्छानुसार स्कीम का चयन कर उसमें निवेश की जाने वाली राशि को प्रतिशत में उल्लेख कर सकता है। स्कीम का चयन करने हेतु सभी अंशदाता को यूजर कोड एवं पासवर्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।

(11) सर्वर पर अपलोड करने का कार्य यथावत् पूर्ववत् ही रहेगा। इसका मासिक लेखा 5 तारीख तक अवश्य भेजे जावेंगे। जिन अंशदाओं का अंशदान चालान या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संचालनालय भेजा जाता है वहाँ भी यह सुनिश्चित किया जावे कि चालान एवं ड्राफ्ट 5 तारीख तक संचालनालय में अवश्य मिल जावें।

(12) मासिक लेखा संकलन के बाद नोडल अधिकारी द्वारा शासकीय सेवकों को अंशदान की राशि का आहरण भाग-तीन-लोक लेखा ''(ट) जमा और अग्रिम

(क) ब्याज जमा राशियाँ मुख्य शीर्ष 8342-अन्य जमा [117] शासकीय सेवकों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (6803) टी पर के अंतर्गत शासकी सेवक का अंशदान'' से किया जावेगा तथा उसके बराबर की शासकीय अंशदान की राशि ''माँग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2071-पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ, उपमुख्य शीर्ष [01] सिविल, लघु शीर्ष [117] परिभाषित अंशदान, पेंशन प्रयोजन हेतु शासकीय अंशदान, योजना क्रमांक (6801) राज्य शासन का अंशदान # 12-पेंशन एवं हित लाभ, 003 अन्य भुगतान'' से किया जावेगा।

(13) इसके बाद आहरित राशि ट्रस्टी बैंक (बैंक ऑफ इण्डिया) को 25 तारीख तक सौंप दी जावेंगी, ट्रस्टी बैंक द्वारा समय सीमा में उक्त राशि निर्धारित फण्ड मैनेजर्स को उपलब्ध कराई जावेगी।

(14) राशि का प्रबंधन ट्रस्टी बैंक तथा फण्ड मैनेजर्स द्वारा किया जावेगा और निवेश राशि पर अर्जित ब्याज अंशदाते के खाते में जमा की जावेगी।

टिप्पणी—उपरोक्त निर्देश निम्न परिपत्रों द्वारा जारी किए गए है—

(1) वित्त विभाग क्र. 41/2004 क्रमांक 980/सी-761/वि/नि/चार/2009, दिनांक 27.4.2004

(2) वित्त विभाग क्र. 5/2006 क्र. 31/सी-2742/वि/नि/चार/2006, दिनांक 1.2.2006

(3) वित्त विभाग क्र. 31/2006 क्र. 312/सी-2742/वि/नि/चार/2006, दिनांक 20.9.2006

(4) वित्त विभाग क्र. 18/2007 क्र. 108/24/वि/नि/चार/2007, दिनांक 5.5.2007

(5) वित्त विभाग क्र. 46/2007 क्र. 294/260/वि/नि/चार/2007, दिनांक 11.10.2007.

4. नवीन अंशदायी योजना के अधीन सेवा के दौरान मृत्यु होने अथवा बीमारी के कारणों के आधार पर असमर्थता पेंशन सेवानिवृत्ति होने पर उन्हें या उनके परिवार जन को सेवानिवृत्ति हित लाभ की पात्रता—

(1) छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 3/2009 वित्त/योजना विभाग क्रमांक 57/02/वित्त/स्था./चार/2009, दिनांक 22.1.2009 द्वारा यह निर्देश जारी किया गया था कि नवीन अंशदायी पेंशन योजना के शासकीय सेवक की आकस्मिक मृत्यु होने अथवा सेवा छोड़ने की दशा में लागू होने वाले प्रावधान के सम्बंध में सूचना पृथक से जारी किए जावेंगे तब तक कर्मचारी के सी.पी.एस. खाते से भुगतान लम्बित रखा गया है।

(2) नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अधीन हित लाभ देने हेतु केन्द्र शासन द्वारा उच्चस्तरीय कार्यकाल गठित किया गया था, जिसके द्वारा सेवाकाल में मृत्यु अथवा अपंगता/असमर्थता के कारण शासकीय सेवा से अक्षमता के कारण सेवा से पृथक्करण के प्रकरणों में अतिरक्त लाभ देने की अनुशंसा की है। इस अनुशंसा के आधार पर शासकीय मृत्यु या अक्षमता के कारण पृथक्करण के प्रकरणों में पेंशन लाभ देने हेतु एक अंतरिम (Provisional) आदेश जारी किए गए है।

(3) केन्द्र शासन के अंतरिम आदेश के आधार पर राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सेवाकल में मृत्यु अथवा सेवा अवधि में घटित अपंगता/असमर्थता के कारण शासकीय

Staff Room

Water Purifier

Gymnasium

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय लाहिड़ी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
चिरमिरी, जिला–कोरिया (छ.ग.)

नैक द्वारा "C" ग्रेड प्रदत्त

Affiliated to Sant Gahira Guru University, Ambikapur Phone No. 07771-265026
Email-govtlahiricollege@gmail.com AISHE: C-9736 Website- www.govtlahiripgcollege.com

List of Workshop/Seminars/Conferences/FDPs/Orientation/Refresher Program attended by the teachers during the year:-

Session: 2021-22

Sl. No.	Name of Program	Organizing Unit/Institution	Name of Teacher/ Department	Date (From-to)
1	National Webinar on Solar Modulation of Cosmic Rays	Govt. model Science College, Rewa (M.P.)	Mr. S.C.Chaturvedi Asstt. Prof. Physics	25th Sept. 2021
2	Lecture (Value Added Course) on "एतिहासिक धरोहर एवं पर्यटन अध्ययन"	Govt. PT. Shyamacharan Shukla College, Dharsiwa Raipur (C.G.)	Dr. R.K.Pandey Asstt. Prof. Hindi	1st Oct. 2021
3	National e-Workshop on Research Methodology Tools and Techniques	Govt. model Science College, Rewa (M.P.)	Mr. S.C.Chaturvedi Asstt. Prof. Physics	1st to 7th Nov. 2021
4	Online Refresher Course in Hindi Literature & Sanskrit Literature	UGC-HRDC, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)	Dr. R.K.Pandey Asstt. Prof. Hindi	6th to 18th Dec. 2021
5	विश्व हिन्दी दिवस के अवसर पर "वैश्विक हिन्दी और रोजगार की सम्भावनाएँ" विषय पर व्याख्यान	Dr. C.V. Raman Vishwavidyalaya, Kota Bilaspur (C.G.)	Dr. R.K.Pandey Asstt. Prof. Hindi	10th Jan. 2022
6	Lecture on Project or Dissertation Report Writing Strategies	Govt. R.R.M. PG College, Surajpur (C.G.)	Dr. K.Krishnamoorti, Asstt. Prof. Zoology	7th March 2022
7	राष्ट्रीय संगोष्ठी "हिन्दी साहित्य मे शकुन एवं अपशकुन का राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक प्रदेय"	केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा एवं डी. पी.विप्र. महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)	Dr. R.K.Pandey Asstt. Prof. Hindi	15th to 16th March 2022
8	आदर्श बेबिनार सहभागिता का स्वरूप : सिद्धान्त एवं व्यवहार विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार	शासकीय महाविद्यालय, बांदरी जिला–सागर (म.प्र)	Mr. S.C.Chaturvedi Asstt. Prof. Physics	23rd March 2022
9	Online Refresher Course in Zoology	Teaching Learning Centre, Ramanujan College & Gargi College, University of Delhi	Dr. K.Krishnamoorti, Asstt. Prof. Zoology	25th April to 9th May 2022
10	Interdisciplinary Refresher Course in Advanced Research Methodology	Teaching Learning Centre, Ramanujan College, University of Delhi	Dr. A.Goswami, Asstt. Prof. English	22nd May to 5th June 2022

IQAC Coordinator
IQAC Coordinator
Govt. Lahiri P.G. College, Chirimiri
Distt. - Koriya (C.G.)

Principal
Govt. Lahiri P.G. College
Chirimiri, Distt.- Korea (C.G.)

Govt. Model Science College, Rewa (M.P.)- 486001

Accredited 'A' Grade By NAAC

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University, Rewa (M.P.)

Certificate of Appreciation

NATIONAL WEBINAR

ON

"SOLAR MODULATION OF COSMIC RAYS"

Organized by

Department of Physics

Sponsored By – Department of Higher Education, RUSA & Word Bank Scheme MPHEQIP

This is to certify that ***Asst. Prof. Subhash Chandra Chaturvedi*** *from* ***HOD, Department of Physics, Govt. Lahiri P.G. College Chirimiri, Dist. Koriya (C.G.)*** *has deliver a lecture on* ***"Impact of Interplanetary Medium On Cosmic Rays Intensity"*** *at one day national webinar entitled "SOLAR MODULATION OF COSMIC RAYS" held through the Google meet on 25th September 2021.*

Convenor	Organizing Secretary	Principal
Dr. Kamlesh Singh	**Dr. Yash Kumar Singh**	**Dr. Pankaj Kumar Shrivastava**
Govt. Model Science College, Rewa	Govt. Model Science College, Rewa	Govt. Model Science College, Rewa

GOVT. PT. SHYAMACHARAN SHUKLA COLLEGE
DHARSIWA, RAIPUR (C.G)

Affiliated to Pt. Ravishankar Shukla University
Registered under Section 2(F) & 12(B) of UGC Act
Accredited by NAAC with Grade-B

ऐतिहासिक धरोहर एवं पर्यटन अध्ययन

Organized By : Department of History

Certificate of Appreciation

*This certificate is presented to **Dr. Ram Kinkar Pandey,** Assist. Prof. Department of Hindi, Govt. Lahiri P.G. College, Chirimiri, Koriya (C.G.) for delivering an invited talk entitled "रामपथ वन गमन चिन्हित नौ क्षेत्र" on dated 1-10-2021 in Value Added Course on "ऐतिहासिकधरोहर एवं पर्यटन अध्ययन" organized by Department of History during 25th September to 11th October 2021.*

Dr. Shabnoor Siddiqui
Prof. Department of History
(Convenor)

Dr. Smt. Vinod Sharma
(Principal)

Scanned with CamScanner

GOVT. MODEL SCIENCE COLLEGE, REWA (M.P.)

Accredited 'A' Grade By NAAC

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University, Rewa (M.P.)

Certificate of Participation

One Week National Level E-Workshop

On

Research Methodology Tools and Techniques

Organized By

Department of Physics

Sponsored By – Department of Higher Education, RUSA & World Bank Scheme MPHEQIP

This is to certify that Prof./Dr./Mr./Miss/Smt.

Subhash Chandra Chaturvedi

from

Govt.Lahiri P.G.College Chirimiri Dist.koriya C.G

*has participated in the one week national level e- workshop entitled "**RESEARCH METHODOLOGY TOOLS AND TECHNIQUES**" Dated on 01st November 2021 to 07th November 2021.*

Convenor	**Organizing Secretary**	**Patron/Principal**
Dr. Kamlesh Singh	***Dr. Yash Kumar Singh***	***Dr. Pankaj Kumar Shrivastava***
Govt. Model Science College, Rewa (M.P.)	*Govt. Model Science College, Rewa (M.P.)*	*Govt. Model Science College, Rewa (M.P.)*

UGC-HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CENTRE

RANI DURGAWATI UNIVERSITY, JABALPUR, M.P.

ज्ञान - विज्ञानं विमुक्तये

CRT/UGCHRDC/RDVV/RCHINSAN/67 DT: 18.12.2021

E.CERTIFICATE

ONLINE REFRESHER COURSE

HINDI LITERATURE AND SANSKRIT LITERATURE

FROM 06.12.2021 TO 18.12.2021

THIS IS TO CERTIFY THAT

DR. RAM KINKER PANDEY,
ASSISTANT PROFESSOR, HINDI,
GOVT. LAHIRI PG COLLEGE, CHIRIMIRI, DIST. KOREA,
SANT GAHIRA GURU UNIVERSITY, SARGUJA,
AMBIKAPUR, CHHATTISGARH

PARTICIPATED IN THE

ONLINE REFRESHER COURSE

HINDI LITERATURE AND SANKRIT LITERATURE

FROM 06.12.2021 TO 18.12.2021

AND OBTAINED GRADE A +

Prasoon Dutta Singh

(Prof. Kapil Deo Mishra)
Vice-Chancellor
RDVV, Jabalpur, MP

(Prof. Kamlesh Mishra)
Director
UGC-HRDC
RDVV, Jabalpur, MP

(Prof. Prasoon Dutta Singh)
Course Coordinator
Head, Dept of Sanskrit
School of Humanities and Languages,
MGCU, Motihari, Bihar

Scanned with CamScanner

डॉ. सी.व्ही. रामन् विश्वविद्यालय

करगी रोड, कोटा बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विश्व हिन्दी दिवस

वैश्विक हिन्दी और रोजगार की संभावनाएं

दिनांकः सोमवार 10 जनवरी 2022

आयोजकः भाषा विज्ञान विभाग, टैगोर विश्वकला एवं संस्कृति केन्द्र, आईक्यूएसी
एवं वनमाली सृजन पीठ, बिलासपुर

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती/प्रो/डॉ. ....डॉ. राम किंकर पाण्डेय............

महाविद्यालय/ संस्था ....शासकीय लाहिड़ी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चिरमिरी, जिला- कोरिया (छ.ग.)............ ने दिनांक 10 जनवरी को डॉ. सी.वी.रामन् विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर द्वारा आयोजित विश्व हिन्दी दिवस में मुख्यवक्ता के रूप में आभासी पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज की।

हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते है।

गौरव शुक्ला कुलसचिव	डॉ. संगीता सिंह कला संकायाध्यक्ष	डॉ. मनीषा द्विवेदी विभागाध्यक्ष, भाषा विज्ञान विभाग

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रेवती रमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर,

NAAC GRADE-B | जिला-सूरजपुर (छ.ग.) | College Code-3501

Ph. No. 07775-266657 E.mail-pri.gdc.surajpur@gmail.com/ pri-rmpgsurajpur.cg@gov.in

पत्र क्रमांक......../ स्था / 2022 दिनाँक 30 / 03 / 2022

CERTIFICATE OF APPRECIATION

This Certificate is present to **Dr. Kavita Krishnamoorti**, Assistant Professor, Department of Zoology, Government Lahiri P.G College, Chirmiri (Koriya) for sharing her valuable knowledge as a guest speaker on the topic "Project or Dissertation Report writing Strategies" on 7th March 2022 organized by Department of Zoology, Government Rewati Raman Mishra P.G College, Surajpur (C.G.).

Signature 30/03/2022

Dr. Chandan Kumar
(Asst. Professor)
H. O. D. Dept. of Zoology

Principal
PRINCIPAL
Govt.R.R.M.P.G.College
Surajpur (C.G.)

राष्ट्रीय संगोष्ठी

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा एवं
हिंदी विभाग, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

के संयुक्त तत्वावधान में

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रामकिंकर पाण्डेय, शासकीय लाहिड़ी स्नातकोत्तर महा. चिरमिरी, जिला कोरिया. ने केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा एवं हिंदी विभाग, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर के संयुक्त तत्त्वावधान में दिनांक 15 - 16 मार्च 2022 को ''हिंदी साहित्य में शकुन एवं अपशकुन का राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक प्रदेय'' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में सक्रिय रूप से सहभागिता की/शोधपत्र प्रस्तुत किया/व्याख्यान दिया/सत्र की अध्यक्षता की।

डॉ. (श्रीमती) अंजू शुक्ला
प्राचार्य
डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)

डॉ. सुरुचि मिश्रा
संयोजक/विभागाध्यक्ष हिंदी
डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)

Scanned with CamScanner

शासकीय महाविद्यालय, बांदरी जिला–सागर (म.प्र.)

आदर्श वेबिनार सहभागिता का स्वरूप :– सिद्धान्त एवं व्यवहार

एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार

दिनांक : 23/03/2022 समय : दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक

अध्यक्षता :–

- डॉ. जी.एस. रोहित, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा सागर संभाग सागर

मुख्य वक्ता :–

1. श्री उमेशचंद्र पंत, मैनेजर आई.टी. SIFPSA लखनऊ
2. श्री सुभाषचंद्र चतुर्वेदी, सहायक प्राध्यापक भौतिकी, शासकीय लाहिरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चिरमिरी, छत्तीसगढ़
3. डॉ. इमराना सिद्दीकी, प्राध्यापक, रसायनशास्त्र शास., कला एवं वाणिज्य महावि. सागर

Registration Link : https://forms.gle/TNB36oLTM7yc1gLN8
Google Meet Link : https://meet.google.com/aqp-npzv-qkq

प्राचार्य/संरक्षक
डॉ. मिथलेश शरण चौबे

आयोजन सचिव	सह–सचिव	सह–सचिव	समन्वयक
श्रीमती रेनू सोलंकी	राजेश कुमार पटेल	राजेन्द्र कुमार यादव	डॉ. प्रमेश कुमार गौतम
सहा. प्राध्या. – इतिहास	सहा. प्राध्या. – राजनीतिशास्त्र	सहा. प्राध्या. – समाजशास्त्र	सहा. प्राध्या. – अर्थशास्त्र

Teaching Learning Centre, Ramanujan College
University of Delhi

in collaboration with

Gargi College, University of Delhi

under the aegis of

MINISTRY OF EDUCATION

PANDIT MADAN MOHAN MALAVIYA NATIONAL MISSION ON TEACHERS AND TEACHING

सत्यमेव जयते
Ministry of Education
Government of India

This is to certify that

Dr. Kavita Krishnamoorti

of

Govt. Lahiri P.G. College, Chirimiri, Dist. Koriya, Chhattisgarh

has successfully completed online Two – Week Refresher Course in

“ZOOLOGY”

from *25 April - 09 May, 2022* and obtained

Grade *A+*.

Blockchain Hash: 0xf7d389248af0987e96a9eaf8d1ace28ea072b3cea90e4763801dcbdc17cffe9c

Prof. S. P. Aggarwal
(Principal & Director)
TLC, Ramanujan College

Prof. Promila Kumar
(Principal)
Gargi College

Teaching Learning Centre, Ramanujan College
University of Delhi

under the aegis of

MINISTRY OF EDUCATION

PANDIT MADAN MOHAN MALAVIYA NATIONAL MISSION ON TEACHERS AND TEACHING

सत्यमेव जयते
Ministry of Education
Government of India

This is to certify that

Dr Aradhana Goswami Assistant Professor Department of English

of

Government Lahiri PG College Chirimri koriya Chhattisgarh

has successfully completed ONLINE TWO - WEEK INTERDISCIPLINARY REFRESHER COURSE in

"ADVANCED RESEARCH METHODOLOGY"

from *22 May – 05 June, 2022* and obtained

Grade *A*.

Blockchain Hash: 0x8257fe43dd226faa02c01ea1b75df0ff02a981a7cf4773481685ac826fa98e7d

Prof. S. P. Aggarwal
(Principal & Director)
TLC, Ramanujan College

Dr. Ashish Shukla
(Convenor)
Ramanujan College

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय,

ब्लॉक–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपर, अटल नगर,
रायपुर (छ.ग.)
(फोन नं.– 0771–2636413, फैक्स नं. – 0771–2263412)
(www.highereducation.cg.gov.in, email Id- che-higheredu.cg@gov.in)

पत्र क्र. 379 /94/आउशि/गो.प्र./2021 अटल नगर, दिनांक 5 /4/2021

प्रति,

प्राचार्य
समस्त शासकीय महाविद्यालय
छत्तीसगढ़

विषयः– 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए गोपनीय प्रतिवेदन के संबंध में।

संदर्भः– छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला– रायपुर का पत्र कमांक– 8215/183/2016/38–1 दिनांक 27.10.2018।

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा क्षेत्रीय अपर संचालकों को अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं। तदानुसार प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयो में कार्यरत स्नातक प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, कीडा अधिकारी एवं रजिस्ट्रार की 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाली अवधि की गोपनीय चरित्रावली एक सप्ताह के अंदर प्राचार्य अपने संभाग के क्षेत्रीय अपर संचालक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, तथा स्नातकोत्तर प्राचार्य अपना गोपनीय प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

गोपनीय चरित्रावली के साथ कार्य निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) प्रपत्र एवं चल–अचल संपत्ति (31 दिसंबर 2020 की स्थिति में) का ब्यौरा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

प्रायः देखा गया है कि प्रपत्र में सभी कालमों की पूर्ति नहीं की जाती है, विषय एवं महाविद्यालय का नाम उल्लेख नहीं करते है, जिसके कारण गोपनीय चरित्रावली संधारित करने में अत्यधिक असुविधा होती है। अतः विषय एवं महाविद्यालय का नाम उल्लेख अनिवार्य रूप से करें, साथ में संलग्न प्रपत्र में जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सभी कार्यरत अधिकारियों का गोपनीय प्रतिवेदन भेज दिये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

संलग्नः– प्रपत्र।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
अटल नगर,नवा रायपुर छ.ग.

पृ.क्रमांक 380 /94/आउशि/गोप.प्र./2021 अटल नगर, दिनांक 5 /4/2021

प्रतिलिपिः–

1. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर एवं सरगुजा संभाग कृपया मतांकन उपरांत समस्त गोपनीय प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय

प्रारूप – महाविद्यालय में पदस्थ ऐसे सहायक प्राध्यापक जो 37,400–67,000 + ए.जी.पी. 9,000 के वेतनमान में कम से कम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो कि जानकारी –

क्र.	सहायक प्राध्यापक का नाम	विषय	वरिष्ठ श्रेणी में स्थानन दिनांक	प्रवर श्रेणी में स्थानन दिनांक	37400–67000/– ए.जी.पी. 9000 वेतनमान में स्थानन दिनांक	9000 एजीपी में 03 वर्ष पूर्ण होने की तिथी	रिमार्क

इस प्रारूप के साथ निम्नानुसार बिन्दुओं में दर्शाये गये प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें।

1. विभागीय जांच एवं न्यायालय में अभियोजन प्रकरण लंबित नहीं होने का प्रमाण पत्र।
2. सनिष्ठा प्रमाण पत्र।
3. वर्ष 2015 से 2019 तक का वर्षवार अलग–अलग चल अचल संपत्ति विवरण प्रपत्र।
4. सतत् सेवा प्रमाण पत्र।

प्राचार्य के हस्ताक्षर

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा

ब्लॉक–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)
(फोन – 0771–2636413 फैक्स – 0771–2263412)
(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

कमांक–877/09 /आउशि/अराज.स्था./2021 अटल नगर, दिनांक 27/03/2021

प्रति,

प्राचार्य
समस्त शासकीय महाविद्यालय
छत्तीसगढ़

विषयः – **कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने बाबत्।**

———00———

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली निर्धारित संलग्न प्रपत्र में भरकर संबंधित अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, साथ ही निम्नलिखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे :–

1. समग्र मूल्यांकन (उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/साधारण/घटिया) स्पष्ट अंकित करें एवं गोपनीय प्रतिवेदन में चिन्हांकित भी करें।
2. कर्मचारी की गोपनीय चरित्रावली में अंकित प्रतिकूल टीकाओं से नियमानुसार (1 माह भीतर) कर्मचारी को संसूचित करना अनिवार्य है एवं उनके विरूद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदनों के निराकरण के संबंध में दिये गये शासन–आदेशों का अत्यन्त दृढ़ता से पालन किया जाये।
3. गोपनीय चरित्रावली का वर्ष स्पष्ट अंकित करें।
4. मतांकन अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर, सील अंकित किया जावें।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा के निर्देशानुसार)

27.3.2021
(डॉ. एच.पी. खैरवार)
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर,
अटल नगर (छ.ग.)

पृ. कमांक–878–09 /आउशि/अराज.स्था./2021 अटल नगर, दिनांक 27/03/2021
प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा के शीघ्रलेखक, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. अपर संचालक, उच्च शिक्षा समस्त क्षेत्रीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर,
अटल नगर (छ.ग.)

10

गोपनीय प्रतिवेदन
(CONFIDENTIAL REPORTS)

1. सामान्य निर्देश

(1) पुस्तक परिपत्र भाग एक क्रमांक 7 में दिये गए निर्देशों के अनुसार गोपनीय प्रतिवेदन अत्यन्त सावधानी से लिखे जाना चाहिये क्योंकि उस पर अधिकारी का बहुधा भविष्य निर्भर रहता है। रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी को अपर्याप्त सामग्री या सुनी-सुनाई बातों के आधार पर अस्पष्ट टिप्पणियाँ और मत देना या निष्कर्ष निकालने से बचना चाहिये। इस बात की सावधानी भी रखना चाहिये कि व्यक्तिगत रुचियों या अरुचियों को स्थान न मिल सके।

(2) प्रतिवेदन लिखने वाले अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह अपने नियंत्रण के अधीन लोगों के कार्य व आचरण का सावधानीपूर्वक सतत् अवलोकन करें। वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ऐसे अवलोकनों और नियतकालिक निरीक्षण के परिणामों तथा अधिकारी के ऐसे कार्यों पर आधारित होनी चाहिये जो उसकी दृष्टि में आयें। यदि इसके बावजूद भी वह यह आवश्यक समझे कि किसी अधीनस्थ प्राधिकारी की राय आवश्यक है तो वह उसे गोपनीय रूप में मंगा सकता है। किन्तु गोपनीय रिपोर्ट उसके द्वारा ही पूर्ण जिम्मेदारी के साथ लिखी जानी चाहिए।

(3) गोपनीय प्रतिवेदन के लिखने से किसी अधिकारी को यह दिखाने का अवसर मिलता है कि वह सतर्क पर्यवेक्षक है और उसमें चरित्र का सही-सही मूल्यांकन करने की क्षमता है।

(4) किसी भी रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी को अपने किसी निकट संबंधी के कार्य पर अपनी राय नहीं देनी चाहिये।

(5) प्रतिवेदन में सामान्यत: इस विषय में राय व्यक्त की जानी चाहिये कि सम्बन्धित अवधि के दौरान अधिकारी ने अपने विभिन्न कर्त्तव्यों का पालन किस प्रकार किया है और इसमें उसके व्यक्तित्व, चरित्र और योग्यताओं का मूल्यांकन होना चाहिये।

(6) अतिगुप्त, गुप्त शाखाओं आदि के कार्य करने वाले या प्रभार धारण करने वाले शासकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में रिपोर्ट लिखते समय, विशेषकर विभागीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मामले में उनकी विश्वसनीयता का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये।

(7) साधारणत: उस अधिकारी के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जायेगी, जिसने वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी प्रभार में तीन माह से कम समय तक काम किया है क्योंकि हो सकता है कि इतनी अल्पावधि में रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी को अपने अधीनस्थ के कार्य का अवलोकन करने का पर्याप्त अवसर न मिल सके।

(8) यदि अधिकारी वित्तीय वर्ष में तीन महीने से अधिक समय तक किसी भी कार्य के प्रभार में न रहा हो तो उसकी रिपोर्ट उस सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखी जायेगी जिसके अधीन वित्तीय वर्ष में उसने अधिकतम अवधि तक कार्य किया हो।

(9) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 333/1040/I (3)/80, दिनांक 4-8-1980 के अनुसार यदि किसी अधिकारी को उच्च पद के चालू कार्यभार संभालने के लिए अधिकृत किया जाता है तो वह अपने मूल पद के समकक्ष पदों में कार्यरत अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावलियों में टीका

अंकित नहीं कर सकता, किन्तु अपने अधीनस्थ अधिकारियों की चरित्रावली लिखने के लिए, स... रहेगा।

(10) राज्य शासन के निर्णयानुसार प्रतिवेदक अधिकारी/समीक्षक अधिकारी सेवानिवृत्त ... पर उसकी सेवा निवृत्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपना अभिमत अंकित कर सकेंगे।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ. 5-1/2003/1/6, दिनांक 20-2-20...

(11) **निलम्बित शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली में मतांकन-** वर्तमान में निलम्बि... शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली लिखे जाने के संबंध में नियमों में कोई प्रावधान नहीं ... गोपनीय चरित्रावली में शासकीय सेवकों के द्वारा पूरे वर्ष में किये गए कार्य का समग्र मूल्यांकन ... आधार पर उनके कार्यों के संबंध में टीप अंकित की जाती है। निलम्बित शासकीय सेवकों द्वारा निल... अवधि में कोई कार्य नहीं किया जाता है। अतः निलंबित अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन में सामान्... 'कोई टीप नहीं' अंकित किया जाता है। अब शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि निलम्बि... शासकीय सेवकों के गोपनीय प्रतिवेदन लिखते समय संबंधित अधिकारी द्वारा इस आशय का ... मतांकन किया जाना चाहिए कि निलम्बित शासकीय सेवक निलम्बन की अवधि में बिना अनुमति ... अनुपस्थित तो नहीं रहा है, तथा उसके द्वारा कोई व्यवसाय, नौकरी आदि तो नहीं की जा रही है। ... उसके विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है तो इस संबंध में टीप दी जाये कि उसके द्वारा विभागीय ... की कार्यवाही में सहयोग किया जा रहा है अथवा नहीं।

[सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञाप क्रमांक 447/2223/98/1/9, दिनांक 9-3-199...

2. गोपनीय प्रतिवेदन लिखने की अवधि

(1) शासकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में गोपनीय प्रतिवेदन उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्र... वित्तीय वर्ष के लिये लिखे जाना चाहिये।

(2) परिवीक्षा पर नियुक्त किये गये अधिकारियों के सम्बन्ध में उनकी सम्पूर्ण परिवीक्षा अ... के दौरान जब तक कि उन्हें स्थाई न कर दिया जाये, अर्धवार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाना चाहि...

(3) समस्त अस्थाई शासकीय कर्मचारियों के मामले में भी शासकीय सेवा में उनकी प्र... नियुक्ति में प्रथम दो वित्तीय वर्षों तक अर्धवार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाना चाहिये।

3. गोपनीय चरित्रावली में अंकित सभी प्रविष्टियों को संसूचित किया जाना

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित सभी टीकाओं को चाहे ... घटिया/औसत/अच्छी/बहुत अच्छी अथवा उत्कृष्ट हों, उन्हें संबंधित को संसूचित किया जावे। य... कोई शासकीय सेवक अपनी श्रेणी से या टीकाओं से संतुष्ट नहीं हो तो वह पूर्व की भांति जिस प्रक... प्रतिकूल टीका सूचित किये जाने पर अभ्यावेदन देता है, उसी प्रकार उन्हें अपग्रेड कराने के लि... अभ्यावेदन दे सकता है। अभ्यावेदन का निराकरण भी पूर्व की भांति ही होगा। ऐसी संसूचना तब ... जाएगी जब वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन अंतिम मतांकन के उपरान्त उन्हें संधारित करने वाले अधिका... को प्राप्त हो जाए तब वह संबंधित को एक निश्चित समयावधि में संसूचित करेगा।

उक्त आदेश सभी विभाग, विभागाध्यक्ष एवं उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों/निगम/मंडल... आयोग/अभिकरण में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को लागू होंगे।

अतः अब वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की छायाप्रति देना अनिवार्य हो गया है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ-9-2/2008/1-6, दिनांक 16-12-201...

4. प्रतिकूल टीका के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण

(1) तृतीय श्रेणी तक के कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदनों के प्रतिकूल टिप्पणियों के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों के मामलों में वह अधिकारी सक्षम है जो अंतिम मत अंकित करने वाले से तत्काल वरिष्ठ है।

(2) द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों से संबंधित प्रतिकूल टीकाओं को विलोपित करने का निर्णय संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से किया जायगा।

(3) प्रथम-श्रेणी के ऐसे अधिकारी, जिनका वेतनमान रुपये 3700-5000 या इससे ऊपर है, के विलोपित करने के प्रकरण मुख्य सचिव के माध्यम से समन्वय में मुख्यमंत्री के आदेशार्थ प्रस्तुत किए जायेंगे और शेष प्रकरण अर्थात् रु. 3700-5000 से नीचे वेतनमान में नियुक्त प्रथम श्रेणी के अधिकारियों से संबंधित प्रतिकूल टिप्पणियों को विलोपित करने के प्रकरण द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के समान निपटाये जायेंगे।

संसूचित प्रतिकूल टीकाओं को विलोपित करने के प्रस्ताव समन्वय में आदेश के लिए भेजते समय प्रकरण को सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-3) को अंकित किया जाना चाहिए तथा संबंधित अधिकारी की पूर्ण गोपनीय नस्ती एवं स्वमेव स्पष्ट संक्षेपिका विभागीय मंत्री का अनुमोदन लेने के बाद नीचे चैक लिस्ट में जानकारी के साथ भेजी जावेगी।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी-9/1/95/3/1, दिनांक 22-4-1995]

5. गोपनीय चरित्रावली में मतांकन की समयावधि

गोपनीय चरित्रावली लिखने के लिये स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन (सेल्फ असेसमेंट) प्रस्तुत करने एवं विभिन्न स्तरों पर गोपनीय चरित्रावली लिखे जाने हेतु निम्नानुसार समय-सीमा निर्धारित की जाती है:—

1.	सेल्फ असेसमेंट प्रस्तुत करने की अवधि	30 अप्रैल
2.	प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन	15 मई
3.	समीक्षक अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन	31 मई
4.	स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन	15 जून

प्रत्येक प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जावेगा कि सभी अधिकारी/कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन उपरोक्तानुसार समय-सीमा में लिखे जाकर उच्च अधिकारी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत कर दिये गये हैं। यदि किसी अधिकारी का स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हो, तो प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित अधिकारी का सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट प्राप्त न होने का उल्लेख करते हुए स्वयं का मतांकन निर्धारित समयावधि में कर दिया जाना चाहिए।

6. गोपनीय चरित्रावली लिखने की सूचना

प्रत्येक प्रतिवेदक अधिकारी जब गोपनीय चरित्रावली समीक्षक अधिकारी को भेजे तब उसकी सूचना स्वीकारकर्ता अधिकारी को दी जावे, जब समीक्षक अधिकारी स्वीकारकर्ता अधिकारी को गोपनीय चरित्रावली मतांकन हेतु भेजे तब उसकी सूचना प्रतिवेदक अधिकारी को दे। स्वीकारकर्ता अधिकारी जब गोपनीय चरित्रावली कस्टोडियन अधिकारी, जिसके पास गोपनीय चरित्रावली संधारित की जाती है, को भेजे तब उसकी सूचना समीक्षक अधिकारी एवं प्रतिवेदक अधिकारी को एक दूसरे के पत्रों के संदर्भ में दी जाये ताकि प्रत्येक स्तर पर यह रिकार्ड रहे कि गोपनीय चरित्रावली किस स्तर पर कब भेजी गई है। गोपनीय प्रतिवेदन यथासंभव विशेष वाहक से भेजे जायें ताकि उनके गुम होने का खतरा न रहे परंतु जहां मुख्यालय से बाहर भेजना है एवं डाक से भेजे जा रहे हों तब रजिस्टर्ड डाक से भेजे जायें।

7. गोपनीय चरित्रावलियों का संधारण

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष द्वारा अपने विभाग के किसी एक जिम्मेदार अधिकारी को ... प्रतिवेदन प्राप्त करने एवं संधारित करने के लिये कस्टोडियन अधिकारी के रूप में नामांकित ... जायेगा। कस्टोडियन अधिकारी द्वारा एक चैक रजिस्टर प्रपत्र "एक" में रखा जायेगा जिसमें ... अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम दर्ज किये जायेंगे। शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावलि... होते ही कस्टोडियन अधिकारी उनका इन्द्राज चेक रजिस्टर में करेंगे तथा गोपनीय प्रतिवेदन प्रा... का दिनांक संबंधित कालम में अंकित करेंगे जिन शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली प्राप्त ... का प्रयास कस्टोडियन अधिकारी द्वारा किया जायेगा अर्थात् गोपनीय चरित्रावली संबंधित अधि... प्राप्त कर उनको सही रूप से संधारित करने का उत्तरदायित्व कस्टोडियन अधिकारी का होगा।

2. 30 जून तक गोपनीय चरित्रावली प्राप्त न होने पर कस्टोडियन अधिकारी संबंधित अधि... को गोपनीय चरित्रावली भेजने के लिये लिखेगा। उक्त पत्र की प्रति उस शासकीय सेवक को ... जायेगी जिसकी गोपनीय चरित्रावली लिखी जाना है।

3. चैक रजिस्टर के आधार पर माह जुलाई में विभागाध्यक्ष/सचिव स्तर पर गोपनीय प्रति... प्राप्ति की समीक्षा की जावेगी। जिन अधिकारियों ने समय पर गोपनीय चरित्रावली नहीं लिखी ... विरुद्ध जवाबदारी निर्धारित की जाकर कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी को लिखा जायेगा। ... एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर की गई कार्यवाही की सूचना 31 जुलाई तक सामान्य प्रशासन विभाग ... इस विभाग के ज्ञापन दिनांक 12-7-96 में उल्लेखित एवं संशोधित संलग्न प्रपत्र-एक (अ) ... जावेगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसकी समीक्षा की जाकर माह सितम्बर अंत तक पूर्ण जान... मुख्य सचिव के अवलोकन हेतु भेजी जायेगी।

8. प्रतिकूल टीका के संबंध में कार्यवाही

प्रतिकूल टिप्पणियों की संसूचना एवं प्राप्त अभ्यावेदन के निराकरण हेतु सामान्य पुस्तक ... भाग 1-7 एवं इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 8-12/82/काप्रसु, दिनांक 25 मई, 1982 एवं क्र... एफ- 5-5/90/49/9, दिनांक 20 नवम्बर, 1990 में निर्देश दिये गये हैं। प्रतिकूल टीप के संबं... निर्णय लेने एवं निर्णय के अनुसार समय पर कार्यवाही करने के लिये उक्त परिपत्रों के अनुक्र... निम्न निर्देश दिये जा रहे हैं :–

1. जब सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिकूल टीप विलोपित करने का निर्णय लिया जाता है ... विलोपित टीप को काटकर अथवा कागज चिपकाकर मिटा दी जानी चाहिए एवं जि... आदेश से विलोपन किया गया हो उस आदेश का क्रमांक एवं दिनांक वहां दर्ज कर दे... चाहिए। जब सक्षम अधिकारी द्वारा पूरी प्रतिकूल टीप विलोपित करने का निर्णय लि... जाता है तब गोपनीय चरित्रावली में प्रतिकूल टीपकर्ता द्वारा अंकित श्रेणी भी विलो... कर दी जाये।
2. प्रतिकूल टीकायें समय पर संसूचित की गई हैं अथवा नहीं यह जानकारी कस्टोडि... अधिकारी द्वारा चैक रजिस्टर में प्रपत्र दो में रखी जावेगी। सामान्यतः जनवरी अंत ... विपरीत टीकाओं के संबंध में कार्यवाही पूर्ण कर ली जाना चाहिए। प्रत्येक विभाग ... फरवरी अंत तक इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र दो "अ" में सामान्य प्रशासन विभाग ... भेजी जावेगी। सामान्य प्रशासन विभाग इसकी समीक्षा कर यथोचित कार्यवाही करेगा।

9. अधिकारियों के लिये लक्ष्य निर्धारण

सभी विभाग/विभागाध्यक्ष उनके अधीनस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारि...

के लिये लक्ष्य निर्धारित करेंगे। लक्ष्य निर्धारण का कार्य माह अप्रैल के प्रथम सप्ताह में कर लिया जायेगा। यदि किसी अधिकारी की पदस्थापना बीच सत्र में हो तो उस अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के एक सप्ताह के भीतर लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाना चाहिए। जिन विभागों में लक्ष्य निर्धारित करना संभव न हो तो उन विभागों में सेल्फ असेसमेंट के समय अधिकारी को वर्ष में जो कार्य सौंपा गया एवं जो कार्य उसने किया उसका संक्षिप्त विवरण गोपनीय चरित्रावली प्रपत्र के निर्धारित कालम में दर्ज किया जायेगा। [सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ 5-4/98/9/एक, दिनांक 13-1-1999]

प्रपत्र-एक

संवर्गीय सेवा के गोपनीय प्रतिवेदनों के रख-रखाव का रजिस्टर

अ. क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)

गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त होने का दिनांक					गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त करने के प्रयासों का संक्षिप्त विवरण	रिमार्क
97-98	98-99	99-2000	2000-01	01-02		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

गोपनीय प्रतिवेदन वर्षान्त. . . . . की जानकारी हेतु प्रपत्र एक (अ)

विभाग का नाम ....

क्र.	संवर्ग का नाम	संवर्ग में अधि./कर्म. की संख्या	कितने गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त	कितने गोपनीय प्रतिवेदन अप्राप्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

किस स्तर से कितने गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाने की कार्यवाही नहीं की गई			अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन समय पर न लिखे जाने के संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की संक्षिप्त जानकारी
प्रतिवेदक अधिकारी	पुनरीक्षक अधिकारी	स्वीकृतकर्ता अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	
(6)	(7)	(8)	(9)

प्रपत्र-दो

गोपनीय प्रतिवेदन की विपरीत टीकाओं का चेक रजिस्टर वर्ष.................
संवर्ग वार ....

क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदस्थापना का स्थान	गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त होने की दिनांक	प्रतिकूल टीका संसूचित करने का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

प्रतिकूल टीका के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्ति का दिनांक	टीपकर्ता अधिकारी को अभ्यावेदन भेजने का दिनांक	टीपकर्ता अधिकारी का मत प्राप्त होने का दिनांक	अभ्यावेदन के निराकरण एवं उसका दिनांक	रिमार्क
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित प्रतिकूल टीका की समीक्षा हेतु प्रपत्र दो- "अ" वर्ष..........
विभाग का नाम..

क्रमांक	अधीनस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों की श्रेणी/ संवर्ग का नाम	संवर्ग के अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या	प्राप्त कुल गोपनीय प्रतिवेदनों की संख्या	कितने गोपनीय प्रतिवेदनों में प्रतिकूल टीकायें अंकित मिलीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

कितनी प्रतिकूल टीकायें समय पर संसूचित की गई	कितनी प्रतिकूल टीकायें समय पर संबंधित को सूचित नहीं की गई	प्रतिकूल टीका संसूचित न किये जाने का कारण	संसूचित टीकाओं में कितनों का निराकरण हुआ है	कितने प्रकरण अभी लंबित हैं	रिमार्क
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

10. संभागायुक्त का पद समाप्त होने के फलस्वरूप आयुक्त को प्रदत्त अधिकार अन्य अधिकारी को दिये जाने के संबंध में

संदर्भ- इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 5-7-2005.

आयुक्त/कमिश्नर का पद समाप्त होने के कारण समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 5-7-2005 द्वारा गोपनीय चरित्रावली में मतांकन हेतु आयुक्त/कमिश्नर के स्थान पर विभागीय सचिव/प्रमुख सचिव को अधिकृत किया गया है। कतिपय विभाग द्वारा शासन से अभिमत मांगा गया है कि-

1. किसी विभाग में सचिव एवं प्रमुख सचिव दोनों ही पदस्थ होने की दशा में क्या दोनों ही अधिकारियों द्वारा टीप अंकित जी जाएगी?
2. किसी विभाग में प्रमुख सचिव पदस्थ नहीं होने के दशा में क्या विभागीय सचिव टीप अंकित करने हेतु अधिकृत हैं?
3. विभाग में विभागीय सचिव तथा प्रमुख सचिव दोनों अधिकारी पदस्थ नहीं होने की दशा में क्या विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार) टीप अंकित करने हेतु अधिकृत हैं?

2. इस संबंध में शासन ने स्पष्ट किया है कि जिन विभागों में प्रमुख सचिव और सचिव दोनों ही अधिकारी पदस्थ होंगे, तो दोनों ही अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन करेंगे। शेष के संबंध में प्रकरण विशेष की परिस्थितियों के अनुसार मार्गदर्शन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को प्रकरण प्राप्त होने पर ही उचित मार्गदर्शन दिया जा सकेगा।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ. 9-2/2003/1-6, दिनांक 13-1-2006]

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय लाहिड़ी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
चिरमिरी, जिला–कोरिया (छ.ग.)
नैक द्वारा "C" ग्रेड प्रदत्त
Affiliated to Sant Gahira Guru University, Ambikapur Phone No. 07771-265026
Email-govtlahiricollege@gmail.com AISHE: C-9736 Website- www.govtlahiripgcollege.com

Institutions Performance Appraisal System for teaching and non- teaching staff

Name of Teaching and Non-Teaching Staff			
Sl. No.	**Name**	**Designation**	**Performance Appraisal System**
1	Dr. Arti Tiwari	Professor	API
2	Dr. Rajani Sethia	Asstt. Professor	API
3	Dr. Ram Kinker Pandey	Asstt. Professor	API
4	Mr. Subhash Chandra Chaturvedi	Asstt. Professor	API
5	Dr. Aradhana Goswami	Asstt. Professor	API
6	Mr. Vijay Kumar Lahare	Asstt. Professor	API
7	Dr. Kavita Krishnamoorti	Asstt. Professor	API
8	Dr. Ashish Kumar Pandey	Asstt. Professor	API
9	Mr. Subhash Raul	Lab Technician	ACR
10	Mr. Ramsharan Singh	Lab Technician	ACR
11	Mr. Aditya Singh	Lab Technician	ACR
12	Ku. Shweta Sen	Lab Technician	ACR
13	Mr. Umesh Kumar	Lab Technician	ACR
14	Mr. Sarvjeet Prasad Patel	Asstt. Grade-II	ACR
15	Mr. Rahul Sen	Lab Attendant	ACR
16	Mr. Rishiraj Gupta	Lab Attendant	ACR
17	Mr. Dinesh Manhar	Lab Attendant	ACR
18	Mr. Manmohan Kumar	Lab Attendant	ACR
19	Mr. Puspraj Singh	Lab Attendant	ACR
20	Mr. khikhram	Book Lifter	ACR
21	Mrs. Shyambai Singh	Peon	ACR
22	Mr. Santosh Sahu	Peon	ACR
23	Mr. Shankar Lal Yadav	Peon	ACR

IQAC Coordinator
IQAC Coordinator
Govt. Lahiri P.G. College, Chirimiri
Distt. - Koriya (C.G.)

Principal
PRINCIPAL
Govt. Lahiri P.G. College
Chirmiri, Distt.- Korea (C.G.)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक १४१/५०/आउशि/समन्वय/2014 रायपुर दिनांक २६ मार्च, 2014

प्रति,

समस्त प्राचार्य

.... छत्तीसगढ़।

विषयः– शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिये कार्यनिष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली हेतु वार्षिक स्व मूल्यांकन प्रपत्र।

संदर्भः– 1. उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 1221/एफ–2–10/2009/38–1 दिनांक 30.03.2010

2. प्रदेश के अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों के बैठक दिनांक 01/02/2014 को दिये गये निर्देशानुसार।

3. भारत का राजपत्र सितंबर 18, 2010 वि.वि. अनुदान आयोग दिनांक 30 जून 2010

-----00-----

SAMPLE

उपर्युक्त संदर्भित पत्रानुसार विभाग में कार्यरत सभी शिक्षकों, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ाधिकारियों को छठवां वेतनमान प्रदाय किया गया है। उक्त वेतनमान के साथ समस्त शिक्षकों को नियुक्ति/पदोन्नति/स्थानन हेतु एक निर्धारित प्रपत्र 'कार्यनिष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (PBAS)' विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किया गया है।

यह प्रपत्र सभी शिक्षकों को आगामी नियुक्ति/पदोन्नति/स्थानन के समय भरा जाना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार सत्र 2013–14 से यह प्रपत्र प्रत्येक महाविद्यालयीन शिक्षकों को भरना होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में जारी गोपनीय चरित्रावली एवं 'कार्यनिष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (PBAS) दोनों प्रपत्र साथ–साथ भरा जावेगा।

संलग्न प्रपत्र के साथ इसे भरे जाने हेतु निर्देश भी संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। समस्त शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्यो का दायित्व है कि प्रत्येक महाविद्यालयीन शिक्षक का स्व मूल्यांकन प्रपत्र भी भरवाया जाकर वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के साथ–साथ भेजा जाना सुनिश्चित करें।

ग्रंथपाल एवं क्रीड़ाधिकारी का स्वमूल्यांकन प्रपत्र पृथक से प्रेषित किया जा रहा है।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(डॉ. किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
रायपुर (छ०ग०)

शास० लाहिड़ी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चिरमिरी जिला कोरिया
स्थापना वर्ष – 1953

पृ0 क्रमांक १४२/५०/आउशि/समन्वय/2014 रायपुर दिनांक २६ मार्च, 2014

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
2. निज सहायक, मान0 मंत्री जी उच्च शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. निज सहायक, कुलपति, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर /बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर/सरगुजा विश्वविद्यालय,अंबिकापुर/बस्तर विश्वविद्यालय ,जगदलपुर / इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़/कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, रायपुर।
4. निज सहायक, सचिव, छ0ग0शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर।
5. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ0ग0)।
6. उप सचिव, छ0ग0शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर।
7. कुल सचिव, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,रायपुर /बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर /सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर/बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर / इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ /कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
8. प्रभारी अधिकारी राजपत्रित स्थापना/प्राचार्य प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

SAMPLE

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
रायपुर (छ0ग0)

स्थापना वर्ष – 1953

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर

गोपनीय प्रतिवेदन प्रपत्र

31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये

भाग–एक नियुक्ति का विषय:- भौतिक शास्त्र

प्रतिवेदन अधिकारी प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक द्वारा भरा जाए

1. पूरा नाम (महिला अधिकारी विवाह के पूर्व का नाम भी लिखें) सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी
2. पिता का नाम श्री शिवनाथ प्रसाद चतुर्वेदी
3. जन्मतिथि 24-07-1976
4. शैक्षणिक अर्हता एवं वर्ष
   स्नातक 1996 एन.फिल 2003
   स्नातकोत्तर 1999 पी.एच.डी.
5. वेतन व वेतनमान
   वेतन 75200+D.A.+H.R.A. (Level 10th) वेतनमान
6. महाविद्यालयीन सेवा प्रारंभ करने की जानकारी
   (अ) प्रथम नियुक्ति का पद, प्रकार एवं दिनांक: सहा० प्राध्यापक, स्थाई (01-10-17)
   (ब) नियमित नियुक्ति का दिनांक: 01-10-2014
   (स) वर्तमान पद एवं नियुक्ति दिनांक: सहा० प्राध्यापक, 01-10-2014
7. वर्ष में किस–किस संस्था में पदस्थ रहे, अवधि का भी उल्लेख करें: (यदि एक से अधिक संस्था में कार्य किया हो तो प्रत्येक संस्था की कार्य अवधि के लिए पृथक फार्म भरा जाये)
   (i) शास० लाहिड़ी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चिरमिरी जिला-कोरिया (छ०ग०)
   (ii)
   (iii)

SAMPLE

लाहिड़ी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चिरमिरी
स्थापना वर्ष – 1953

प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा समीक्षा अवधि में किये गए कार्य की जानकारी :

क्र.	पढाई गई कक्षा का स्तर		सेक्शन की संख्या	कुल छात्र संख्या	व्याख्यान	प्रायोगिक	टिटोरियल	विशेष कोचिंग
					वर्ष के दौरान लिए गए पीरियड्स (कालखंड) की संख्या			
					← प्रतिसप्ताह →			
1.	स्नातक	B.Sc.-I	01		06	02	01	
		II	01		06	02	01	
2.	स्नातकोत्तर	III	01		06	02	01	

9. क्या उपस्थिति पंजी नियमित भरी गई .... हाँ

10. क्या उपस्थिति पंजी प्राचार्य को सौंपी गई .... हाँ

11. वर्ष के दौरान आपके द्वारा किये गए शोध का विवरण

12. प्रकाशित कार्य का विवरण चार(04) शोध पत्रों का प्रकाशन

13. कितने छात्रों को शोध कार्य हेतु मार्गदर्शन किये

(अ) एम.फिल.के कितने छात्रों को

(ब) पी.एच.डी के कितने छात्रों को .... निरंक

14. कितने कमजोर छात्रों को विशेष कोचिंग दी .... निरंक

15. वर्ष में कितनी नई पुस्तकों का अध्ययन किया 16

(पुस्तकों का नाम व लेखकों का नाम लिखें) 03, Gupta-Kumar, S.Chandra, Ghatak

16. वर्ष के दौरान लिए गए अवकाश की प्रकृति एवं दिवस .... आकस्मिक अवकाश - 16

17. शिक्षणेतर कार्यो का संक्षिप्त विवरण

(अ) एन.सी.सी. .... निरंक

(ब) एन.एस.एस. .... सहभागिता

(स) परीक्षा संचालन
(महाविद्यालयीन परीक्षा संचालन में क्या कार्य किया कार्य की प्रकृति एंव कितने दिन इस कार्य का संचालन किया) .... केन्द्राध्यक्ष, सहा० केन्द्राध्यक्ष वीक्षकीय कार्य

(द) महाविद्यालय प्रशासन के लिए किये गय कार्य
(जैसे अनुशासन, जॉच कार्य, छात्र संघ आदि) .... NAAC सम्बन्धी समस्त कार्य, AISHE data submission, अनुशासन समिति, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी

(इ) अन्य कार्य
(जैसे- खेल संबंधी, सेमीनार आदि) खेलकूद सम्बन्धी कार्य मे सहभागिता सेमीनार सम्बन्धी एवं अन्य प्राचार्य द्वारा सौंपे गए कार्यो का निर्वहन

दिनांक 16-04-2022

प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक के पूर्ण हस्ताक्षर

SAMPLE

प्रपत्र

अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2022 दिसम्बर, 2021 की स्थिति में

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा नाम) तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी
2. वर्तमान धारित पद सहा० प्राध्यापक - भौतिकशास्त्र शासकीय महाविद्यालय का नाम शास० लाहिड़ी स्ना० महा० चिरमिरी
3. वर्तमान वेतन 75200 + D.A. (10 Level) अगली वेतन वृद्धि का तारीख 01-07-2022

क.	उस जिले उप संभाग, तह. तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर आधारित और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा बंधक, विरासत या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन का तारीख और जिससे अर्जित की गई उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
				निरंक			

जहां लागू न हो काट दीजिए।

ऐसे मामले मे जहां सही सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ मे लगभग मूल्य बतलाया जाए इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी :— छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1965 के नियम 18 (3) के अधीन [illegible] अपेक्षित है कि वह पहली नियुक्ति के समय और [illegible] में प्रत्येक [illegible] तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में [illegible] बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

19-04-2022

शासकीय सेवक के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

कार्य निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी०बी०ए०एस०) हेतु वार्षिक स्व मूल्यांकन प्रपत्र

सत्र/वर्ष 2021-22

(प्रत्येक अकादमिक वर्ष के अंत में पूर्ण रूप से भरकर जमा किया जाए)

SAMPLE

शिक्षक का नाम सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी

पदनाम सहा० प्राध्यापक विषय भौतिकशास्त्र

कर्मचारी कोड नं. 01380020056

महाविद्यालय शास० लाहिड़ी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चिरमिरी, जिला-कोरिया (छ०ग०)

शास० लाहिड़ी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चिरमिरी जिला कोरिया
स्थापना वर्ष – 1953

(भाग–क सामान्य सूचना)

1. नाम (बड़े अक्षरों मे) :- सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी
2. पिता/पति का नाम : श्री शिवनाथ प्रसाद चतुर्वेदी
3. विभाग : उच्च शिक्षा
4. जिस विषय में विशेषज्ञता हो भौतिकशास्त्र
5. महाविद्यालय में सेवा प्रारंभ करने की जानकारी
   - i. प्रथम नियुक्ति का पद प्रकार एवं दिनांक सहा० प्राध्यापक, छ.ग. लोक सेवा आयोग-2009, द्वारा चयनित
   - ii. नियमित नियुक्ति का दिनांक 01-10-2014
   - iii. वर्तमान पद एवं नियुक्ति दिनांक सहा० प्राध्यापक-01-10-2014
6. वर्तमान पद एवं वेतन ग्रेड : सहा० प्राध्यापक (75200+D.A.+HRA Level10)
7. पूर्व पदोन्नति की तिथि :
8. पत्र व्यवहार हेतु पता (पिन कोड सहित) : शास० लाहिड़ी स्नातकोत्तर महा० चिरमिरी
9. स्थायी पता (पिन कोड सहित) :

   फोन नं. : 9424369618

   ई मेल : subhashchaturvedi76@gmail.com

SAMPLE

10. यदि वर्ष के दौरान कोई डिग्री/शैक्षिक योग्यता प्राप्त की है : नहीं
11. अकादमिक स्टाफ कालेज नवोन्मेषी/पुनस्चर्या पाठ्यक्रय जिनसें वर्ष के दौरान भाग लिया गया :

पाठ्यक्रम का नाम/ ग्रीष्मकालीन स्कूल	स्थान	अवधि	प्रयोजक अभिकरण
←	निरंक	— —	→

12. वर्ष के दौरान लिये गये अवकाश की प्रकृति एवं दिवस

अर्जित अवकाश- 16

स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चिरमिरी
स्थापना वर्ष – 1953

भाग–ख : अकादमिक कार्य निष्पादन संकेतक

(कृपया इस खण्ड को भरने से पूर्व इस (पीवीएएस) प्रोफॉर्मा के ब्यौरेवार अनुदेशों को देख ले)

वर्ग : I. शिक्षण, अनुशिक्षण तथा मूल्यांकन संबंधी कार्यकलाप

(i) व्याख्यान, संगोष्ठियॉं, अनुवर्ग, प्रायोगिक कक्षाऍं, संपर्क घंटे (सत्रवार ब्यौरा दें, जहॉं आवश्यक हो)

क्र. स.	पाठ्यक्रम / प्रश्न पत्र	स्तर U.G.	शिक्षण का माध्यम	प्रति सप्ताह आवंटित कक्षाओं की संख्या	प्रति दस्तावेजी रिकॉर्ड के अनुसार ली गई कक्षाओं / प्रायोगिक कक्षाओं की सं. का प्रतिशत
1.	Paper-I & II	B.Sc-I	Both	6+4=10	100%
2.	Paper-I & II	B.Sc.-II	offline	6+4=10	100%
3.	Paper-I & II	B.Sc.-III	online	6+4=10	100%
			Hindi		
			English		

* व्याख्यान (एल), संगोष्ठी (एस), अनुवर्ग (टी), प्रयोगिक कक्षाऍं (पी), संपर्क घंटे (सी)

		API अंक
(क)	ली गई कक्षाएं (100 प्रतिशत कार्य निष्पादन पर अधिकतम 50 अंक तथा 75 प्रतिशत तक कार्य निष्पादन पर अनुपातिक अंक जिससे निचले स्तर पर कोई अंक नही दिया जायेगा)	50
(ख)	यू.जी.सी. प्रतिमान के अतिरिक्त शिक्षण भार (अधिकतम अंक : 10)	10

SAMPLE

(ii) पाठन / परामर्श प्राप्त अनुदेशात्मक सामग्री एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त ज्ञान संसाधन

क्र.सं.	पाठ्यक्रम / प्रश्न पत्र	परामर्श प्राप्त	विनिर्दिष्ट	उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त संसाधन
1.	B.Sc-I Paper-I, II	विषय सम्बन्धी	Projector	आनलाइन
2.	B.Sc-II Paper-I, II	नोट्स, PPT	You-tube	माध्यम से
3.	B.Sc-III, Paper I, II	Practical	Vedios	विषय विशेषज्ञो
			का उपयोग	द्वारा व्याख्यान
पाठ्यचर्या एवं पाठ्यविवरण संवर्धन के अनुसार तैयारी एवं विदित ज्ञान / अनुदेश पर आधारित API अंक, विद्यार्थियों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराते हुए (अधिकतम अंक : 20)				API अंक 20

[redacted]

स्नातकोत्तर महाविद्यालय ... स्थापना वर्ष – 1953

Scanned with CamScanner

(iii) सहभागितापूर्ण तथा नवोन्मेषी शिक्षण–अनुशिक्षण पद्धतियों का उपयोग, विषय–वस्तु, पाठ्यक्रम सुधार आदि को अद्यतन करना

क्र.सं.	संक्षिप्त विवरण	API अंक
1.	उच्च शिक्षा विभाग रायपुर अध्ययन मंडल सदस्य	
2.	सरगुजा विश्वविद्यालय अध्ययन मंडल सदस्य	
	कुल अंक (अधिकतम अंक : 20)	20

(iv) परीक्षा ड्यूटी, सौंपी गई एवं निष्पादित की गई

क्र.सं.	परीक्षा ड्यूटी का प्रकार	सौंपी गई ड्यूटी	कितने (प्रतिशत) निष्पादित की गई	API अंक
				10
	विश्वविद्यालय द्वारा	केन्द्राध्यक्ष		10
	आयोजित वार्षिक	सहा० केन्द्राध्यक्ष	100%	10
	एवं सेमेस्टर परीक्षा	वाह्य प्रायोगिक परीक्षा		10
		उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन		10
	कुल अंक (अधिकतम अंक : 25)	पेपर सेटिंग		25

वर्ग : I में कुल प्राप्तांक ....125..........

न्युनतम अंको की आवश्यकता – 75

वर्ग : II. सह पाठ्येत्तर, विस्तार, व्यावसायिक विकास संबंधी कार्यकलाप
कृपया निम्नलिखित में से किसी एक के लिए अपना योगदान दर्शायें:

क्र.सं.	कार्यकलाप का प्रकार	औसत घंटे/सप्ताह	API अंक
	(i) विस्तार, सहपाठ्येत्तर एवं क्षेत्र आधारित कार्यकलाप		
	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी		10
	क्रय समिति खेलकूद सहा० प्रभारी		10
	कुल (अधिकतम अंक : 20)		
	(ii) कारपोरेट जीवन में योगदान तथा संस्थान का प्रवंधन	वार्षिक/सत्रवार उत्तरदायित्व	API अंक 20
	NAAC सम्बन्धी कार्य जैसे ABAR		
	भरना एवं अन्य सम्बन्धित दायित्वों		
	कुल (अधिकतम अंक–15) का निर्वहन		15
	(iii) व्यावसायिक विकासगत गतिविधियाँ		

SAMPLE

स्नातकोत्तर महाविद्यालय ... स्थापना वर्ष – 1953

Scanned with CamScanner

	AISHE Data Submission		10
	कुल (अधिकतम अंक–15)		
	कुल (i+ii+iii) (अधिकतम 25 अंक)		25

वर्ग II में न्यूनतम आवश्यक अंक – 15

वर्ग : III. शोध, प्रकाशन एवं अकादमिक योगदान

(क) जर्नल्स में प्रकाशित पत्र

क्र. सं.	पृ.सं. सहित शीर्षक	जर्नल	ISSN/ ISBN सं.	क्या समकक्ष की समीक्षा की गई? प्रभावी घटक, यदि कोई है	सह–लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं?	API अंक
	See		ISSN				
1	discription just	IJCRT	2320-2882	7.97	4	हाँ	25
2	below of the	IJRES	2320-9356		3	हाँ	25
3	Page :	IJOR	2250-1991		4	नहीं	06
4	↓	ABAARI			4	नहीं	06
						Total	62

(ख) (i) आलेख / अध्याय, पुस्तकों में प्रकाशित

क्र. सं.	पृ.सं. सहित शीर्षक	पुस्तक शीर्षक संपादक एवं प्रकाशक	ISSN/ ISBN सं.	क्या समकक्ष की समीक्षा की गई?	सह–लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं?	API अंक
←				निरंक			→

. The Geomagnetic field Variations morphology of Geomagnetic storms - - Vol-9, Issue 10, Page 216-222

. The solar-Terrestial Links and energy transfer Mechanism - - - Vol.-9, Issue 10, Page 66-71

. Correlative study of Interplanetary magnetic field in solar - - Vol. 10, Issue 11,

1. Study of effect of magnetic clouds on Geomagnetic indices - - - Page 168-171

(ii) सम्मेलन कार्यवाहियों में पूर्ण पत्र

क्र. सं.	पृ.सं. सहित शीर्षक	सम्मेलन प्रकाशन का ब्यौरा	ISSN/ ISBN सं.	सह लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं?	API अंक
			निरंक			

(iii) एकल लेखक या संपादक के रूप में प्रकाशित पुस्तकें

क्र. सं.	पृ.सं. सहित शीर्षक	पुस्तक का प्रकार एवं कर्तृत्व	प्रकाशक एवं ISSN/ ISBN सं.	क्या समकक्ष की समीक्षा की गई ?	सह-लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक है ?	API अंक
				निरंक			

SAMPLE

III. (ग) चल रही एवं पूर्ण हो चुकी शोध तथा परामर्शी परियोजनाएं

(i एवं ii) चल रही परामर्शी परियोजनाएं

क्र.सं.	शीर्षक	अभिकरण	अवधि	गतिशील अनुदान राशि (लाख रु. में)	API अंक
		निरंक			

श्याम लाहिड़ी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, [illegible]
स्थापना वर्ष – 1953
[illegible]

(iii एवं iv) पूर्ण हुई परियोजनाएं/परामर्शी

क्र.सं.	नामांकन सं.	अभिकरण	अवधि	अनुदान/चल राशि (लाख रू. में)	निष्कर्ष रूप में पॉलिसी डाक्यूमेंट/पेटेंट का	API अंक
←			निरंक			→

III. (घ) शोध मार्गदर्शन

क्र.सं.	अनुक्रमांक सं.	जमा किया गया शोध निबंध	प्रदत्त डिग्री	API अंक
एम. फिल या समान	←	निरंक		→
पी.एच.डी. या समान				

III. (ङ) (i) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षा–अनुशिक्षण–मूल्यांकन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, संकाय विकास कार्यक्रम (एक सप्ताह की अवधि से कम नहीं)

क्र.सं.	कार्यक्रम	अवधि	द्वारा आयोजित	API अंक
1	E-workshop on Research Methodology	one week	Govt. Model Science College Rewa (M.P.)	20

(ii) सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, परिचर्चाओं में प्रस्तुत किए गए पत्र

क्र. सं.	प्रस्तुत पत्र का शीर्षक	सम्मेलन/संगोष्ठी का विषय	द्वारा आयोजित	क्या अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य/प्रादेशिक/कालेज या विश्वविद्यालय स्तर पर हुए	API अंक
←			निरंक		→

स्नातकोत्तर महाविद्यालय
स्थापना वर्ष –

(iii) राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठी आदि में आमंत्रित व्याख्यान एवं अध्यक्षता

क्र.स.	व्याख्यान अकादमिक सत्र का शीर्षक	सम्मेलन / संगोष्ठी का विषय	द्वारा आयोजित की गई	क्या अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय है ?	API अंक
1.	Solar Modulation of Cosmic rays		Govt. Model science college Rewa (M.P)	राष्ट्रीय	7.5
2.	आदर्श वेबीनार का स्वरूप - रिडोल एवं व्यवहार	सहभागिता	शास॰ महाविद्यालय बांदरी, जिला-सागर (म॰प्र॰)	राष्ट्रीय	7.5

कुल = 15

(IV) API अंको का सार

	मानदण्ड	गत अकादमिक वर्ष	आकलन अवधि हेतु कुल API अंक	आकलन अवधि हेतु वार्षिक औसत API अंक
I	शिक्षण, अनुशिक्षण तथा मूल्यांकन संबंधी गतिविधियाँ	125	125	125
II	सह पाठ्येत्तर, विस्तार व्यावसायिक विकास आदि	25	25	25
	कुल I+II	150	150	150
III	शोध एवं अकादमिक योगदान	81	97	89
	कुल	231	247	239

SAMPLE

स्थापना वर्ष — 1953

भाग ग : अन्य संबंधित सूचना

कृपया किसी अन्य विश्वसनीय, महत्वपूर्ण योगदान, प्राप्त किए गए अवार्ड आदि का ब्यौरा दें जिसे पूर्व में नहीं दर्शाया गया है :

क्र. सं.	ब्यौरा (जहॉ कहीं आवश्यक हो, वर्ष मूल्य आदि दर्शायें)

संलग्नकों की सूची : (कृपया प्रमाणपत्रों, मंजूरी आदेशों, पत्रों आदि की प्रतियॉ साथ नत्थी करें, जहॉ कहीं आवश्यक हो)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SAMPLE

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि यहॉ दी गई जानकारियॉ महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सही हैं तथा विधिवत भरे गए PBAS प्रोफार्मा के साथ दस्तावेज नत्थी किए गए है ।

संकाय के पद, स्थान एवं तिथि सहित हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष/महाविद्यालय अध्यक्ष/प्राचार्य के हस्ताक्षर

नोट : कैस पदोन्नति हेतु वार्षिक स्व मूल्यांकित प्रोफॉर्मा, विधिवत भरा हुआ, की सभी संलग्नकों सहित विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा जॉच की जायेगी तथा इसकी सूचना IQAC को प्रेषित की जायेगी।

स्थापना वर्ष – 1953

भाग–घ.

(आंतरिक गुणवत्ता एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ/उच्च शिक्षा संचालनालय का अभिमत)

आवेदक अधिकारी द्वारा भाग क, ख, ग में प्रेषित सत्र/वर्ष .... के स्व–मूल्यांकन पर टीप–

1.	क्या आप आवेदक अधिकारी के स्व मूल्यांकन में अंकित किसी बिन्दु से असहमत है ? यदि हॉ तो किन–किन बिन्दुओं से तथा क्यों ? (कारण सहित उल्लेख करें)	
	बिन्दु–	कारण–
	बिन्दु–	कारण–
	बिन्दु–	कारण–
	बिन्दु–	कारण–
	बिन्दु–	कारण–
2.	आवेदक अधिकारी की निष्ठा	
3.	आवेदक अधिकारी के समग्र मूल्यांकन के आधार पर अनुशंसित अकादमिक निष्पादन सूचकॉक (A.P.I.)	

SAMPLE

स्थान –

दिनांक –

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम ....
पदनाम	पदनाम ....
संयुक्त संचालक **आंतरिक गुणवत्ता एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ**	**अपर संचालक** **उच्च शिक्षा संचालनालय** **रायपुर (छ0ग0)**

शास० लाहिड़ी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चिरमिरी जिला कोरिया
स्थापना वर्ष – 1953

समीक्षक अधिकारी की अभ्युक्ति

1.	क्या आप आंतरिक गुणवत्ता एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ के अभिमत से सहमत है ?	
2.	यदि नही तो कारण दर्शित करें।	

स्थान –

दिनांक – समीक्षक अधिकारी के

हस्ताक्षर

नाम ....

....

पदनाम ....

SAMPLE

......

स्वीकृतकर्ता अधिकारी की अभ्युक्ति

स्थान –

दिनांक – स्वीकृतकर्ता अधिकारी के

हस्ताक्षर

नाम ....

पदनाम ....

PBAS प्रोफार्मा के भाग ख को भरने हेतु अनुदेश

प्रोफॉर्मा का भाग–ख, यू.जी.सी. विनियम 2010 के परिशिष्ट–111, तालिका–1 पर आधारित है। इसको हाल ही में समाप्त हुए अकादमिक वर्ष हेतु भरा जायेगा।
प्रोफॉर्मा, इन तालिकाओं तथा स्व आकलन किए गए अंकों के आधार पर भरा जायेगा। प्रत्येक वर्ग, यहाँ तक कि विभिन्न कार्यकलापों के पृथक–पृथक क्षेत्रों हेतु प्रदान किए गए या अगसारित किए गए अंकों को तालिका में दर्शाया गया है।
स्व मूल्यांकित प्राप्तांक अंक नीचे दर्शाये गए संकेतकों/कार्यकलापों पर आधारित होंगें। विश्वविद्यालय, उनके अनुभवों एव अपेक्षाओं पर आधारित विस्तृत संकेतकों और संबंधित अंकों में परिशिष्ट III, तालिका I में वर्गों एवं उपवर्गों को दिए गए प्राप्तांकों में परिवर्तन किए बगैर, रूपांतरित कर सकते हैं।

नोट : स्व मूल्यांकन, विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा जॉच तथा छानबीन–सह–जॉच समिति या चयन समिति पर निर्भर करता है, जैसा भी मामला हो।

श्रेणी : 1, शिक्षण, तथा मूल्यांकन संबंधी कार्यकलाप

(i) (क)

व्याख्यान/प्रायोगिक कक्षाएँ/अनुशिक्षण, ली गई संपर्क कक्षाएं, जॉच योग्य रिकार्ड पर आधारित होनी चाहिए। यदि किसी शिक्षक ने सौंपी गई कक्षाओं में से 75 प्रतिशत से कम कक्षाएं ली है उसे कोई अंक प्रदान नही किया जाएगा। विश्वविद्यालय, वकाश की अवधि हेतु भत्ता प्रदान कर सकता है, जहाँ साधारणतः वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था की गई है। **100 प्रतिशत कार्य निष्पादन होने पर अधिकतम अंक : 50**	अधिकतम अंक : 50

SAMPLE

(ख)

यदि शिक्षक ने यू.जी.सी. प्रतिमान से हटकर कक्षाएं ली है, ऐसे में कक्षाओं/क्रेडिट के प्रत्येक अतिरिक्त घंटे के लिए 2 अंक प्रदान किए जाएंगे।	अधिकतम अंक : 10

(ii)

सूचना/संज्ञान/अनुदेश निर्धारित सामग्री सहित प्रति पाठ्य–विवरण के अनुसार पाठ्य–पुस्तक /नियमावली आदि), विद्यार्थियों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराकर पाठ्यचर्चा संवर्धन **(100 प्रतिशत अनुपालन = 20 अंक)**	अधिकतम अंक : 20

स्थापना वर्ष – 1953

(iii) सहभागिता एवं नवोन्मेषी शिक्षण–अनुशिक्षण पद्धतियों, अद्यतन विषयवस्तु, पाठ्यक्रम संवर्धन आदि का उपयोग।

संकेतक / कार्यकलाप	अधिकतम अंक
पाठ्यक्रमों, पाठ्य विवरण की रूपरेखा को अद्यतन करना (एकल पाठ्यक्रम हेतु)	10
नवाचारी शिक्षण / अनुशिक्षण में प्रशिक्षण पद्धतियों का उपयोग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, अद्यतन विषयवस्तु एवं पाठ्यक्रम सुधार।	10
क. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित शिक्षण सामग्री : प्रत्येक के लिए 10 अंक	10
ख. अन्योन्यक्रिया पाठ्यक्रम : प्रत्येक के लिए 5 अंक ग. सहभागितापूर्ण अनुशिक्षण मॉड्यूल्स : प्रत्येक के लिए 5 अंक	10
विकासात्मक तथा विदित उपचारात्मक / ब्रिज पाठ्यक्रम तथा परामर्शी मॉड्यूल्स (प्रत्येक कार्यकलाप : 5 अंक)	10
शारीरिक शिक्षा में विकासात्मक विदित विशेषज्ञतापूर्ण शिक्षण – अनुशिक्षण कार्यक्रम, पुस्तकालयः संगीत में नवाचारी सृजन एवं रचनात्मकता, कार्यनिष्पादन एवं दृश्यात्मक कला एवं अन्य पारंपरिक क्षेत्र (प्रत्येक कार्यकलाप : 5 अंक)	10
विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर सहायक शिक्षण / वैब आधारित शिक्षण तथा ई–पुस्तकालय कौशल में प्रचलित कार्यक्रमों / प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था एवं संचालन (क) कार्यशाला / प्रशिक्षण पाठ्यक्रम : प्रत्येक के लिए 10 अंक	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा	20

SAMPLE

(iv) परीक्षा संबंधी कार्य

संकेतक	अधिकतम अंक
कालेज / विश्वविद्यालय तथा सत्रीय / वार्षिक कार्य आबंटित ड्यूटी के अनुसार (निरीक्षण कार्य–10 अंक, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन–5 अंक प्रश्नपत्र तैयार करना– 5,अंक) (100 % अनुपालन = 20 अंक)	20
कालेज / विश्वविद्यालय परीक्षा / मूल्यांकन उत्तरदायित्व आबंटित किए गए अनुसार आंतरिक / निरंतर आकलन कार्य हेतु (100 % अनुपालन = 10अंक)	10
समन्वयन जेसे परीक्षा कार्य, या उड़नदस्ता ड्यूटी आदि (अधिकतम 5 या 10 अंक ड्यूटी की गंभीरता पर निर्भर (100 % अनुपालन = 10अंक)	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा ख (iv)	25

स्थापना वर्ष – 1953

श्रेणी : II सह–पाठ्येत्तर, विस्तार एवं व्यावसायिक विकास संबंधी कार्यकलाप

(i) विस्तार तथा सह पाठ्येत्तर तथा स्थल आधारित कार्यकलाप

संस्थानात्मक सह पाठ्येत्तर कार्यकलाप; विद्यार्थियों हेतु जैसे स्थल अध्ययन / शैक्षिक दौरे, उद्योग स्थापना प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्यकलाप (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
पद / नेतृत्व की भूमिका जो विस्तारित कार्य तथा राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) NCC, NSO या कोई अन्य समानुरूप कार्यकलाप से संबद्ध संगठन में निभाई गई भूमिका (प्रत्येक कार्यकलाप के लिए 10 अंक)	10
विद्यार्थियों एवं स्टाफ संबंधी सामाजिक सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम, परिसर प्रकाशन (विभागीय स्तर, 2 अंक, संस्थागत स्तर पर 5 अंक)	10
सामुदायिक कार्य जैसे राष्ट्र संघटन, पर्यावरण लोकतंत्र समाजवाद, मानव अधिकार, शांति, वैज्ञानिक प्रकृति ; बाढ़ या सूखा राहत, छोटा परिवार मानदण्ड आदि (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा	20

(ii) संस्थान के निगमात्मक जीवन तथा प्रबंधन में योगदान

कालेजों / विश्वविद्यालयों के निगमात्मक जीवन में योगदान; बैठकों, प्रचलित व्याख्यानों, विषय संबंधी आयोजनों, कालेज पत्रिका तथा विश्वविद्यालय संस्करणों में आलेखों के माध्यम से (प्रत्येक के लिए 2 अंक)	10
संस्थानात्मक शासन उत्तरदायित्व जैसे उप–प्राचार्य, डीन, निदेशक, वार्डन, बर्सर, स्कूल अध्यक्ष, समन्वयक (प्रत्येक के लिए 10 अंक)	10
विभागीय या संस्थानात्मक प्रबंधन के किसी भी पहलू सहित संबद्ध समितियों में सहभागिता जैसे दाखिला समिति, परिसरीय विकास, पुस्तकालय समिति (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
छात्र कल्याण, परामर्श एवं अनुशासन हेतु समितियों हेतु उत्तरदायित्व या सहभागिता (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
सम्मेलन का संगठन / प्रशिक्षण अंतराष्ट्रीय (10 अंक) ; राष्ट्रीय / प्रादेशिक (5 अंक)	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा	**15**

(iii) व्यावसायिक विकास संबंधी कार्यकलाप

संकेतक / कार्यकलाप	अधिकतम अंक
व्यवसाय संबंधी समितियों की सदस्यता राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर क. राष्ट्रीय स्तर पर : प्रत्येक के लिए 3 अंक ख. स्थल स्तर पर : प्रत्येक के लिए 2 अंक	10
विषय संघ सम्मेलन, संगोष्ठियों में बगैर पत्र प्रस्तुतिकरण के सहभागिता प्रत्येक कार्यकलाप के लिए : 2 अंक	10

SAMPLE
स्थापना वर्ष – 1953

शैक्षिक प्रौद्योगिकी, पाठ्यविवरण विकास, व्यावसायिक विकास, परीक्षा सुधार, संस्थानात्मक शासन में 1 सप्ताह से कम अवधि के अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों सहभागिता (प्रत्येक कार्यकलाप के लिए 5 अंक)	10
शिक्षा पर राज्य/केन्द्रीय निकायों/समितियों में सदस्यता, सहभागिता, अनुसंधान एवं राष्ट्रीय विकास (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
समाचार पत्रों, पत्रिकाओं या अन्य प्रकाशनों (जो वर्ग 3 में शामिल नहीं है) में आलेखों का प्रकाशन : रेडियो वार्ता, दूरदर्शन कार्यक्रम (प्रत्येक के लिए 1 अंक)	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा	15

वर्गः III अनुसंधान, प्रकाशन तथा अकादमिक योगदान

इसको यू.जी.सी. विनियम 2010 के पिरिशिष्ट III तालिका 1, वर्ग III के अनुसार भरा जाएगा। जहां कहीं भी अनुसंधान योगदान संयुक्त रूप से किया गया है, ए पी आई अंको को, तालिका–1 दर्शाये गए फार्मूले के अनुसार सहयोगियों के मध्य बॉट दिया जाएगा।

III एपीआई अंको का सारांश

वर्ग एव के लिए एपीआई प्राप्तांको को प्रगति अनुसार उत्तरोत्तर संचालित किया जायेगा जैसा कि यू.जी.सी. विनियम 2010 में दर्शाया गया है। यह समस्त प्रक्रिया 2010–11 के लिए निर्मित चयन समितियों के आकलन के साथ प्रारंभ होगी और इसी के अनुसार 2011–12 की 2 वर्ष की अवधि का वार्षिक औसत और आगे आने वाली अवधि का भी उसी प्रकार से आंकलन किया जाएगा। परंतु जैसा कि विनियमों के अंतर्गत पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है, श्रेणी III के लिए समस्त निर्धारण अवधि में प्राप्तांको को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा।

SAMPLE

IV

इसी प्रकार पीबीएएस प्रोफॉर्मा, विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालयाध्यक्ष/उप–पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष तथा निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद/उप–निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद जो कि यू.जी.सी. विनियम 2010 के परिशिष्ट III : तालिका– IV से IX में रेखांकित किए गए ए पी आई अंक पैटर्न पर आधारित है, इन संवर्गों द्वारा विकसित किया जायेगा।

स्थापना वर्ष – 1953

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय लाहिड़ी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
चिरमिरी, जिला–कोरिया (छ.ग.)
नैक द्वारा "C" ग्रेड प्रदत्त
Affiliated to Sant Gahira Guru University, Ambikapur Phone No. 07771-265026
Email-govtlahiricollege@gmail.com AISHE: C-9736 Website- www.govtlahiripgcollege.com

List of professional training programs organized by the institution for teaching & non-teaching staff:-

Sl. No.	Title of the program	Resource Person	Dates (from-to)	No. of participants
1	Lecture on "Importance of Effective Communication in Personality Development"	Dr. Monika Shrivastava Asstt. Prof.-English Govt. V.N. PG College, Manendragarh, Dist-Koriya (CG)	21.02.2022	15
2	"तनावमुक्त जीवन में योग का महत्व" विषय पर तीन दिवसीय योग कार्यशाला	01. Mr. Pappu Kumar 02. Mr. Deepak Chauhata District Karate Association, Manendragarh, Dist-Koriya (CG)	11.04.2022 to 13.04.2022	30

IQAC Coordinator
IQAC Coordinator
Govt. Lahiri P.G. College, Chirimiri
Distt. - Koriya (C.G.)

Principal
Principal
Govt. Lahiri P.G. College
Chirimiri, Distt.- Korea (C.G.)

प्राचार्य, शासकीय लाहिड़ी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
चिरमिरी जिला–कोरिया (छ.ग.)
नैक द्वारा "C" ग्रेड प्रदत्त
Affiliated to Sarguja University, Ambikapur
Phone No. 07771-265026
Email-govtlahiricollege@gmail.com
Website- www.govtlahiripgcollege.com

क्रमांक / /स्था. / 2021–22 चिरमिरी, दिनांक 18-2-22

/ / सूचना / /

महाविद्यालय के समस्त अधिकारियों, अतिथि व्याख्याताओं कर्मचारियों एवं छात्र / छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 21 / 02 / 2022 को अंग्रेजी विभाग के तत्वाधान में महाविद्यालय के स्मार्ट क्लास में 12:00 बजे से **"Importance of Effective Communication In Personality Development"** विषय पर व्याख्यान आयोजित है आप सभी की उपस्थिति अपेक्षित है।

नोटः– मास्क का उपयोग अनिवार्य है।

संयोजक
डॉ0 आराधना गोस्वामी
अंग्रेजी विभाग

प्राचार्य
PRINCIPAL
शास.लाहिड़ी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
चिरमिरी जिला – कोरिया (छ0ग0)

Scanned with CamScanner

21-2-22

The Department of English, Govt. Lahiri PG College Chirimiri, Koriya, CG organised one day lecture on "Importance of effective Communication Skill in Personality Development." The lecture was delivered by Mrs. Monika Srivastava Asst. Prof. English, Govt Vivekanand PG college Manendragarh. The Guest Speaker presented her lecture through PPT in Smart class and elaborately discussed the way how to improve communication and how to develop personality. She answered the questions of students and cleared their doubts. The Program started with the inaugural speech of Principal Dr. Arti Tiwari. Dr. Aradhana Goswami Asst. Prof & Head introduced the theme and objectives of lecture. The Vote of Thanks was delivered by Mr. Divyaditya Sinha, Guest Faculty, Dept of English proposed vote of thanks. All the teaching, non teaching staff and students of college were present in the program.

Tiwari
21-2-22

Principal

21/2/22

PRINCIPAL
Govt. Lahiri P.G. College
Chirimiri, Distt.-Korea (C.G.)

Monika Shrivastava
(Asst. Prof. English)

Dr Rajani Sethi
Asst. Prof Zoo

V. L. Lahare

Richa Shrivastava

Pratap

Divyaditya Sinha

23-2-22

कार्यशाला के दौरान उपस्थित अतिथि।

बातचीत की शैली व्यक्तित्व को निखारती है: मोनिका

डोमनहिल। शास. लाहिड़ी पीजी कॉलेज चिरमिरी के अंग्रेजी विभाग के तत्वाधान में एक दिवसीय व्याख्यान इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन पर्सनॉलिटी डेवलपमेंट का योजन हुआ।

मुख्य वक्ता के रूप में शासकीय विवेकानंद पीजी कॉलेज मनेन्द्रगढ़ से अंग्रेजी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीमती मोनिका श्रीवास्तव ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत की शैली हमारे व्यक्तित्व को निखारती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे आत्मविश्वास और व्यक्तित्व का परिचय देती है। भाषा कोई भी हो तरीका महत्व रखता है, वक्ता के द्वारा छात्र-छात्राओं को व्यक्तित्व के विकास एवं कुशल बातचीत तरीके के महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए। महाविद्यालय की प्राचार्य आरती तिवारी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्ष एवं कार्यक्रम की संयोजक डॉ. आराधना गोस्वामी ने विषय स्थापना की। आभार प्रदर्शन अंग्रेजी विभाग के अतिथि व्याख्याता दिव्यादित्य सिन्हा ने किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक डॉ. रजनी सेठिया, डॉ. रामकिंकर पांडे, सुभाष चंद्र चतुर्वेदी, विजय कुमार लहरे, डॉ. कविता कृष्णमूर्ति, अतिथि व्याख्याता प्रियम्ब्दा शुक्ला, मोहिनी राठौर, आयुषी राय, ऋचा श्रीवास्तव, लक्ष्मी, अंकिता, रश्मिता, राम नारायण पनिका, विजय बघेल आदि मौजूद रहे।

Scanned with CamScanner

25-2-22

जीवन में कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का महत्व जरूरी: श्रीवास्तव

भास्कर न्यूज | चिरमिरी

शा लाहिड़ी पीजी कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के तत्वावधान में इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट विषय पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन हुआ। मुख्य वक्ता शा विवेकानंद पीजी कॉलेज मनेंद्रगढ़ के अंग्रेजी विभाग की असिस्टेंट प्रो मोनिका श्रीवास्तव रहीं। श्रीवास्तव ने कहा कि हमारी बातचीत की शैली हमारे व्यक्तित्व को निखारती है हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे आत्मविश्वास और व्यक्तित्व का परिचय देती है। भाषा कोई भी हो उसका महत्व रखता है। छात्र-छात्राओं को व्यक्तित्व विकास व कुशल बातचीत तरीके के महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए। कॉलेज प्राचार्य प्रो आरती तिवारी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। प्रो.तिवारी ने कहा की अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमें संकोच को त्याग कर सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ाना होगा। अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ आराधना गोस्वामी ने कहा कि यदि विचारों का आदान प्रदान सही तरीके से ना हो तो अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत महत्व है। व्याख्याता दिव्यादित्य सिन्हा ने आभार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक डॉ. रजनी सेठिया, डॉ रामकिंकर पांडेय, सुभाष चंद्र चतुर्वेदी, विजय लहरे, डॉ कविता कृष्णमूर्ति, अतिथि व्याख्याता प्रियम्बदा शुक्ला, मोहिनी राठौर, आयुषी राय समेत छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय लाहिड़ी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
चिरमिरी जिला-कोरिया (छ.ग.)
नैक द्वारा "C" ग्रेड प्रदत्त
Affiliated to Sarguja University, Ambikapur
Email-govtlahiricollege@gmail.com
Phone No. 07771-265026
Website- www.govtlahiripgcollege.in

चिरमिरी, दिनांक 08 / 04 /2022

//सूचना//

महाविद्याय के समस्त अधिकारियों, अतिथि व्याख्याताओं, कर्मचारियो एवं छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 11/04/2022 को Life Skill कें अंतर्गत **योग** शिविर का आयोजन प्रातः 10:00 बजे से विज्ञान एवं वाणिज्य भवन में किया जा रहा है। आप सभी की उपस्थिति अपेक्षित है।

कार्यक्रम अधिकारी
Dr. Aradhana goswami
Assistant Professor (English)
GOVT LAHIRI COLLEGE CHIRIMIRI (C.G.)

प्राचार्य
PRINCIPAL
Govt. Lahiri P.G. College
Chirimiri, Distt.- Korea (C.G.)

08/4/22
08/04/22
8/4/2022
08/04/22
08/04/2022
08/04/2022
08/04/2022
Ankita
8/4/22
08/4/22
08/04/22
8/4/22
Mustafa

कार्यक्रम विवरण

Date 11-04-22

शास. लाहिड़ी पी.जी. कॉलेज चिरमिरी के महिला प्रकोष्ठ के तत्वाधान में दिनांक 11-04-22 से 13-04-22 तीन दिवसीय योग कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसका विषय था "तनावमुक्त जीवन में योग का महत्व"। कार्यशाला में योग प्रशिक्षकों द्वारा महाविद्यालय के स्टाफ व छात्र-छात्राओं को योग का महत्व हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिये कितना महत्वपूर्ण है इस पर व्याख्यान दिया गया व विभिन्न योग मुद्राओं का द्वारा प्रदर्शन भी किया गया। यह कार्यक्रम Life Skill के तहत आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राये, अधिकारी व अतिथि व्याख्याता उपस्थित रहे।

संयोजक

प्राचार्य
PRINCIPAL
Govt. Lahiri P.G. College
Chirimiri, Distt.-Korea (C.G)

हस्ताक्षर / स्टाफ

1- सुश्री - दिपक चौरसिया
2- सुश्री - रिया (योग प्रशिक्षक)
3- श्री पप्पू — योग प्रशिक्षक

Glimpses of Yoga Program